रिसीव करती हैं और यह कह देते हैं कि मिल ने रिसीव कर लिया और सारा पैसा गोल हो जाता है। इसी तरह से कीयला, जो कोल फील्ड से आता है, वह मिल तक नहीं पहुंचना है। उसो प्रकार पर्चेजेज में भी होता है। प्रति मन में 10 रु का कमोशन पड़ जाता है। इस प्रकार लाखों रुपया कमा लेते हैं। तो क्या इस प्रकार के भ्रष्टाचार का मामला क्या मंत्रा जी के निगाह में भाया है, और अगर आया है, तो उन्होंने इसके ख़िलाफ नया कदम उठाए हैं ?

The Prevention

ef Cruelty

चौथी बात लेवर के संबंध में है। मैं चाहंगा, जो लगभग 55,000 मजदूर बेकार पड़े हैं उन के कल्याण की दृष्टि से. जिससे उनकी ब्राजीविका चल सके इस दृष्टि से क्या सरकार की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिल कर, जैसा भी सहयोगात्मक ग्राधार पर व्यवस्था हो सके, क्या वह व्यवस्था की रही है ?

श्रो शिवराज बोo पाटिल: महोदय, अभी कहा गया है कि मिल्स घाटे में जा रही हैं तो उनको मदद के लिए क्या किया जा रहा है। वह पहला सवाल है। तो उसका जँवाब मैंने सविस्तार दिया है । लेकिन एक बात उसके संबंध में कहना चाहुंगा कि ग्रगर कोई मिल इस साल घाटे में जाती है तो हो सकता है ग्रगले साल वह प्राफिट बना सकती है । पिछले वर्षों में उन्होंने प्राफिट बनाया है। जिस समाज में हम् रहते हैं उस समाज के सारे लोगों को प्राफिट और लास मिल कर सहन करने की जरूरत है। तो हम आशा करते हैं कि अगर इंडस्ट्रीज को इस साल घाटा हो रहा है तो मिल बंद नहीं होनी चाहिए। इस साल ग्रगर घाटा हो तो वह सह लें, क्रायद अगले साल उनको प्राफिट मिल जाए।

दसरे, चेतावनी के बारे में हमने क्या किया, इसका भी वड़े ही विस्तार से मेंने बरार दिया है। मन बताया है कि

क्या क्या चीजें इंडस्टीज को मदद करने के लिए दी हैं। एक लाख बैल्स हमने लेने की कोशिश की है, केडिट दिया है, बहत सारी चीजें जनको दी हैं। उसके बाद भी झगर वह नहीं चला रहे हैं तो हमारी विनती रहेगी कि वह चलायें। नहीं चलाते हैं तो पैसा देने के बारे ने बाद में तक्लीफ हो सकती है ।

एक विशेष व्यक्तिके बारे में जान-कारी करने की कोशिश की है। जब किसी के खिलाफ एलिगेशंस होते हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी हए बिना पालियामेंट में जवाब नहीं दिया जा सकता ! व्यक्तिगत स्वरूप का प्रश्न होने की वजह से मेरे पास मालूमात नहीं है, उसका उत्तर देने में मैं ग्रसमर्थ हूं।

THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS (AMENDMENT) BILL, 1982. (Contd).

SHRI R. RAMAKRISHNAN (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, Sir, I thank you for the opportunity. I will be very brief. This is a very important Bill or rather some amendments have been brought forward to a very important Act which was passed in the year 1960. I am very thankful to the hon. Minister for being here along with his State Minister. Sir, India is the land of Ahimsa and a land of Gandhiii. It is a laud where thousands of years ago, our sage Tiruval-luvar in Tamil Nadu said:

"ARIVINAN AAGUVADHV PINDO PIRATHIN NOI THAIY NOI POL PORRAKADAYI"

It means: Think of the sufferings of all beings which are existing in the world like your own and help alleviate Why am I saying this? When the Preven of Cruelty to brought forward in 1960. tention was to codify all the existing rules anc procedures. The present Bill or amend merit, as the Memorandum envisages wants to make certain amendments to thi Act in view of the past 20 years'

ex perience. But I am very sorry to «ty tb»

[Shii R. Ramakrisbnan]

barring some administrative changes which you have proposed in the composition of the Board, there is nothing much in it. You also want to give¹ it a name which will give it an ail-India character, namely, Animal Welfare Board of India. You are also making some administrative changes in the Board of Oirectors of this Animal Welfare Board-There is nothing of a very substantial nature which has been included in the amendments. Mo doubt, whatever amendments have been brought forward arc very welcome and laudable, but thijy are not of a major nature. Why am I saying this? The enforcement of this Act has been observed more in the broach than in the observance. The rules have been breached very often. We have seen many times in urban India and rural India that the animals are being subjected to. untold cruelty and sufferings. I will give you an example. In the original Act or iiccording to the rules framed under the original Act, for large bulfcck or large buffalo, the maximum' load which can be taken is: If the two-wne'eled vehicle is fitted with ball bearings, it is 1800 kilo-grames; if it is fitted with pneumatic tyres. 13 SO kilogramas and if it is not fitted with pneumatic tyres, 900 kilograms. But in actual practice, we know that the animals are made to pull or two animals are made to pull at least twice the lo%d permitted by the rules. Another example is that of dhobies. According to rules, the maximum load that can be put on a donkey is 50 kilograms. Actually we see that there are two or three heavy loads of clothes and one boy or man sitting on it. These overloaded donkeys are everyday sights,

AN HeVN. MEMBER: What about the human beings?

SHRI R. RAMAKRISHNAN: What I am saying is that the rules framed under this Act are not being observed. What is more important is' this. One of the amendments to the original Act envisages that the fine may be Rs. 10/- and it may extend to Rs. 50/-. In the original Act the maximum fine was Rs. 50/-. Therefore, there is no change absolutely and there is no element of deterrent punishment at all in tha Act or Bill. The maximum imprisonment envisaged is only 3

months simple imprisonment, i would like to know on this occasion from the Minister whether he or his department has got any statistics of the persons prosecuted and punished under this Act far the last 20 years. Why 1 am wanting this information is, I want to tell the hon. Minister that the total number of persons who have been under the Act is very low and if prosecuted you take the comparison in India, the number d? persons prosecuted in the South and action taken in the South is much more than in the North. That is whir I welcome the amendment given by our hon. lady Mbri-ber, Shrimati Usha Malhoira. She has given an amendment saying that the location df headquarters of the Animal Welfare Board should be at Madras. I wholeheartedly endorse the amendment and I hope the hon. Minister will be gracious enough to accent this amendment. In South the number of SPCA's is much more than in the North and they are quite active. And on this occasioil I would like to suggest to the Hon. Mmisler ii \erv important lacuna which I think- he must consider and bring forward an amendment under the Act at an early stage. The offences punishable under section 11(1) of the Act are not cognizable within the meaning of the Criminal Procedure Code of 1974. You wiU see that offences under section 11(1), sub-sections (1). (m), (n) and (b) only are made cognizable offences under the Original Act. Actually if the Act is to be enforced, powers should be given to the State Governments to issue necessary instructions bdth to the SPCAs arid to the police. All the offences listed under section 11(1) should be made cognizable within the ambit of the Criminal Procedure Cdde of 1974. Therefor, I would request the hon. Minister to see that this amendment is brought forward at the aware, the SPCAs earliest. Are you function under the control of the Animal Welfare Board and it is very necessary that though you have made a representative character of the Board, the chairrtMh of the Board should bo a nonof\$cial, who has varied experience, like the retired Chief Justice of High Court or some such person, who has not only moral but soelal sense of dealing #iih the things. He should not be a g>v-

t_b Animals

(Amdt.) ittfl. i»fe

ernment official,, who amongst his multifarious governmental duties will not have full time to devote to this cause.

Then the total number of persons for representation to municipal corporations have been reduced 'from 'five to two. I do not know the rational which his weighed with the Government to reduce the number. In the original Art Municipal Corporations of Bombay, Delhi, Madras and Calcutta were there and one other Municipal Corporation had to be taken from all orfer fadia. Now you are reducing it from five to two. I do not know which are the municipal corporations you are *going to* take in this.

THE MINISTER *OF* AGRICULTURE ANi* RURAL BBVBLGP-MBHT AND CIVIL SUPPLIES (RAO > BIRBNDRA SINGH): By rotation.

SHRI R. RAMAKRISHNAN: I just wanted to know this.

Before I conclude I would only say that there should bje some attention paid to the state of the slaughter houses. No doubt, we are not in h position to completely ban this slaughter. Though I am a vegetarian, cannot advocate vegetarianism throughout the country, but the manner in which they kill the animals leave much to be desired and animals are put to lot of sufferings, I would very much request the Minister to see that something is done about this.

There is one thing more. Now-a-dayj it has come in the newspapers also that there is some practice particularly prevailing in the northern part_s of India four- getting the soft skin of the lambs. Even the premature she-goats are forced to deliver the babies and the soft skin is taken out. In actual practice it means a lot of cruelty to these animals. Then these Vanamahatsava and SPCA weeks are celebrated all over India. They are observed jUst *a_s* a formality add after that no follow up is there. There should be some sense of education among the rural, semi-urban and urban masses on behaviour to

animals. There should be a lot of publicity given to the necessity for being very soft to animals.

And I only conclude by again quoting from our sage saint Tiruvaliuvar which the hon. State Minister wiil appriciate:

"Nalla anappaduvadltu Yaduniii yadu onrum koilamai shutum neri."

This means, the best motto for a person in life is, do not make any living being suffer.

With these word_s I wholeheartedly support this Bill.

SHRI P. N. SUKUL (Uttar Pradesh): Mr. Deputy Chairman, Sir, it is reaLy rather unfortunate that In this land of Buddha, Mahavir and Gandhi we are obliged to consider the need for enacting a law to present cruelty to animals. All our incarnations, all our religious leaders, saints and sages, as well as our poets, painter_s and seulptors; they have all drawn our attention to this oh* **fact** that all living beings are alike.

[The Vice-Chairnutt (Sfcrt R. R*mskrf-slian in the Chair. 1

Why? Because they all have soul-th: Atma. And one soul is Hfce any other sdul. So we are all alike and we must hav* the due respect for ail. Not to speak of animals, which, for the purposes of this Bill, include brids and insects as well, onr scriptures even prohibit felling of green trees, because these trees also have souls and to avoid suffering to plants and trees, we should riot fell even green trees In fact, by our very nature, non-violence should have been in our blood and we should behave in a really humane way towards these animals who cannot express their pain and agony like we homo sapiens. But when we find that mass murders ia cold blood are being committed in this ceigptry and Innocent women and children are being done to death in & human way, I wonder whether wr really interested in preventing cruel!)' to animals. However, sinee the Prevention of Cruelty to Animals Act is already diere and oh the basis bt our experience dining the last two decades, certain amendments

[Shri P. N. Sukul]

have been proposed therein, I suppon these amendments. But while supporting the Bill, I cannot forget that once in our own land there was a mighty king who readily agreed to pars with his own flesh and blood ju3t to save the life of an injured bird. The name of that king was Shivi as you must have read in the scriptures. There was another sage loo who, likewise, gave his own flesh and blood to save the Hfe of an injured bird and during his adolescence, even the Siddhartha, who later became Gautam Buddha, also saved the life of an injured swan from the cruel cUithes of a hunter when mat swan had fallen into his lap. These persons were really epi-toms of kindness not only to animal? but to all living

In our Bhagwad Gila, Lord Krishna says that there is absolutely no difference between a Brahman, a Pariah and a dog. So all have to be respected. This was our motto: We are all alike—all Jiving beings. Therefore, Sir, our moral degeneration is colossal and consequently we have to have an Animal Welfare Board. Now whether we call it the Animal Welfare Board of India or simply Animal Welfare Board, it hardly makes any difference for the animals who only deserve to be spared of all the cruelty that is inflicted upon them. But, Sir, again, Ifajt to understand how can we prevent this cruelty when some of us want to do Karakuii caps, knowing it fully well that these caps are made of. ..

SHRI SYED SHAHABUDDIN (Bihar): Mink coats also.

SHRI P. N. SUKUL: I will mention it, Sir. Just have some patience. I do not know why some of us want to don karakul i caps knowing that it is made of the skin of an unborn lamb whose mother is made to abort him and within 24 hours, in front of that mother, the skin of that Jamb is peeled off just like the skin of a banana.—Similarly, for mink coats too skins are peeled off. Just for a handful of silver our tuskers are kiued with poisoned MBOWS and when thsy fall on the ground,

with axes their tusks ar; severed lion the bodies

How painful it must all be! AH the« things have to be prevented if this Act has to be really successful is our country-

What is more, Sir, 1 have seen with ray own eyes that so many of us who keep animals either to use them as beasts of burden or for pulling carts and carriages or even as pets at home, do not feed them properly, they are kept starved. In my bumble opinion, keeping an animal starved is a more heinous crime than killing and that is why there must le exemplary punishment for all those who" keep animals but don't feed them properly. In this Bill you have suggested a minimum fine of Rs. 10. In my humble opinion, their minimum fine is inadequate and it will not oe able to achieve the ends of this Bill or the Act.

Sir, we also find that there is a provision with regard to providing sheds. That should be there. In each city there are carts, carriages, tongas and so on, but the sheds are not there. In the scorching sun, for hours together, these poor animals have to wait for passengers and for want of proper sheds they suffer from rain, sun and inclement weather. So, what I would suggest that there should be adequate provision of these sheds for ihe welfare of the animals

As our honourable friend—who is now sitting on the Chair—has said just a little while ago, the condition of our slaughterhouses is very bad, most unhygienic and very cruelly goats, sheep, cows and buffaloes are done to death there. I would suggest that the slaughterhouses should be modernised all over the country as early as possible and if at all we have to kill these animals to consume them, we must also ensure that the killing is as painless as passible.

Sir, veterinary facilities are most inadequate in our country there are five lakb and odd villages on the eountry and there are only 5,000 and odd veterinary hospitals. It means that for one hundred villages on an average there is only one veterinary hospital and this provi5ion is

to Animal?

(Am&t.) Bill

really very inadequate. Veterinary facilities have to be multiplied and further research has to be made for better and more effective medicines for the common diseases of animals. The Indian Veterinary Council Bill has already been referred to a Joint Committee of the two Houses and in the first two meetings of this Committee our hon-Members have expressed their grave concern about (he inadequacy of these veterinary facilities in the country and they hive also decided to make an in-depth study of these matters. I earnestly hope that the Committee will also come out with suggestions for improvement in this regard.

Personally, Sir, I would also suggest that there should be provision for cattle insurance. If you really want to prevent cruelty to them, there should be provision for the insurance of cattle, at least, milk-giving cattle if not others, to begin with. This insurance will be in the best interests of the animals, the owners as well as the nation as a *hole

Sir, the hon. Minister was good enough to point out that the composition of the Welfare Board is being made more broad based through this Bill. I welcome that

Additional representative of the Home and Education Ministries will now be there on the Board. It is also a welcome siep.

Sir, with these words, I welcome this Bill and

श्री राम नरेश कुशवाहा (उत्तर प्रदेश): उपसमाध्यक्ष जी, हमारे यहां ग्रादि कवि ने सब से पहले कविता करुण से ही शरू की थी-

मा निषाद: प्रतिष्ठा त्वमगम: शाश्वती समा : यत क्रोंच मियुनादेकम्वधी काममोहितम्।

औंच के वध को देख कर बाल्मीकि का हृदय द्रवित हो गया । मुझे प्रसन्नता है कि पश्चमों पर दया करने के लिए हमारी सरकार यह संशोधन विधेयक लाई है (क्यवंधान) लेकिन सब

बड़ी बात यह है कि पशुनों सरकार भी कर रही है, ध संत भी कर रहा है। सन्त गोवध के विरोध में प्रान्त लेकिन उत्तर प्रदेश में 🦠 भादिमयों को भ्रांख में पटर पेड़ से बान्ध कर घर, खेल ा से लेकर कब्तर की तरह -कर गोली से उड़ा दिया उ सरकारी संत ने कहा घोट **कहा । मैं भापसे** कहना ा रत्ती भर भी दया पणव **भाविमयों पर भी** हो, इतता इस देश में 40 करोड़ पा हैं। गरीबी की रेखा में ने हर प्रादमी केवल मृह उनको कपर उठाना चार् तीन सी रुपये से कम का वेतन नहीं पाला उनरी लिए रोज लड़ते रहते 🖹 🗉 करते हैं लेकिन इन बाव बारे में कभी नहीं सोचन : दिया जाए सिवाय जवानी ः पश्चीं का जहां तक स्वा पश्यों से भी बदतर 🤊 भ्रादिवासी, हरिजन. मजदूर जिसको खाने 🖘 नहीं है, उसको पश्चा कभी हम समझेंगे ? 🕸 🗵 कहना चाहता हं। प्राप्त **जेते हैं। दूध ख**ब पीते हैं खेती कराते हैं लेफिन जब न है, ठौठ हो जाती है त छोड़ देते हैं। बैल जब ब्या उसकी भी पगहा काट क कसाई के हाथ वेच देत े मिया, मार खाए उप दूध पूरिये सामंत और 🤄 यानी पगहाकाट पार 🕆 खेत चरने के लिए । या है यह तो रद्दी 🖈

[क्षी रामनरेश कुशवाहा]

लायक है। ऐसे छोटे-छोटे संशोधन लाने से कछ नहीं बनेगा मेरा निवेदन यह है कि सरकार को इसके बारे में नये सिरे से विश्वार कर के दूसरा नया कानन बनाना चाहिये। मेरा यह भी कहना है कि पक्तभीं से काम लेने के बाद जो उनकी . लाबारिम छोड देता है उनकी अधिक से अधिक देने का प्रावधान किया जाए। मैं आपसे फहना चाहता हं फि पणओं के जीवन के साथ हमारे यहां कोई थोड़ा माम्ली खिलवाडे नहीं किया जाता है। हम लोग जब छोटे थे जब कभी ग्राम के बागीचे में जाते थे। वहां पर इतने बन्दर होते थे वे कभी कभी एक दो चांटा लगा भी देते ये और फल भी खाते थे । बन्दरों की हत्या की गई, बन्दर का इतना निर्यात हो गया है विदेशों में । उनके साथ करता के साथ व्यवहार किया जाता है और प्रयोग किये जाते हैं विज्ञान के कि बन्दरों का सफाया हो गया है। अब ग्राम के बंगीचों में चले जाइये ख्राप को बन्दर वहां नहीं मिलेगे। जब हम लोग बच्चे थेतो प्रातः कॉल सियार इतना हल्ला करते थे जिससे लोग जाग जाते थे और कई बार तो इतना शोर होता था कि प्रात: सो भी नहीं सकते थे। मकई के खेत में मचान बन कर रातं भर जागकर , टीन बजाकर, डोल बजाकर सियार खदेडते थे कि कहीं मकई का नर्वसान न हो जाए । लेकिन श्रीमन् ब्राबकल एक भी सियार देखने को नहीं मिलता है। एकदम पशुप्रों का सर्व-नाश अनपने कर डाला।

श्रो सै-ाद शहाब्र्द्दीन : कभी कभी हाऊस में आवाज सुनाई देती है।

श्री राम नरेश कुशवाहा: हो सफता है हाऊस में सियार आ गये होंगे वहां से। सो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम इबने पश्रुकों के प्रति कूर हैं उनका वंश नाश ही करना चाहते हैं

ग्रीर कर रहे हैं। बोझा ढोने के बारे में त्या कहा जस्य । बैल को रोम हुआ है, चलने लायक नहीं है, घोड़े को सभी टांगे ब्रापस में लड़ रही हैं खेकिन उस पर सवारी अधिक से अधिक बैठाई जा रही है। पुलिस के सामने बैठाई जाती है. बल्कि यह खुद भी मुफ्त में बैठ लेता है और जबरदस्ती पीट पीट कर उनको ले जाते हैं। अखिर यह कब तक अंधेर बाता चलेगा ? कैसे चलेगा, मैं आपसे कहना चाहता हं कि इसकी रोकथाम ग्राप क्या करेंगे ? आपके यहां तो शोक एक चीज होती है माम, काट कर ब्ता बनसा है, बछड़ों के चमड़े से बनाता है। बड़े भौक से गो रक्षा वाले पहनाकर घमते हैं। हम में से भी बहुत सारे हजार हेढ़ हजार के जते पहनते हैं। पता नहीं कितनी तरम-तरम होपियां बनती हैं बखड़ों को भेड़ के बछड़ों को आएकर । बहुत से सौन्दर्य प्रसाधन पश्चमों की मार-मार कर वनते हैं। वडे मौक से लिपिस्टिक पता नहीं क्या-क्या । लगाया जाता है । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वे सौन्दर्भ प्रशाधन को हैं झीर धमीरी के साधन जो है अभी हमारे एक भाई ने सिंक कोट का नाम लिया था. छोटै-छोटे हजारों जानवरों को भारकर वह बनता है। तो कितनी पश्यों पर दया है हमारे पास मैं नहीं समझा पाता केवल लफ्फाजी करने से फायदा क्या है। इतना ही नहीं में बापसे फहना चाहता हं कि अगर सच**म्**च कोई दर्द पशुपक्षियों या फिली भी प्राणी के प्रति है क्योंकि हमारे धर्म का दनिया भार में सबसे बड़ा लक्ष्य है। मात्मजः प्रतिकृल नि परेशाम समाचरेत । जो चीज हमको बरी लगती है उसका आचरण दूसरे के लिए नहीं करना चाहिए। जब आप अपना मारना पसंद नहीं फरते. अपने को रोगी हालत में किसी कास में जोता जाना पसंद नहीं करते , अपनी जान मरवाना पसंद नहीं करते तो क्यों

उनको मारते हैं। वह तो एक बहुत बड़ी चीज है (व्यव्धान) ठीक है अन क्या करियेगा । यह सब नगद और उधार धर्म का सगड़ा है। स्वामी विवेका-नन्द नेकहा या कि दो तरह के धर्म होते हैं, एक नगद धर्म और दूसरा उधार धर्म। नगद धर्म है सच बोलना, दया करना, भाचरण करना, दूसरों का परोप-कार करना ग्रीर उधार धर्म है लम्बी वादी संस्वा: चौटी टीका चंढाना धौर नमान, पश्चिम रखं नमाज और पूरब रुख पूजा । यह सब उधार धर्म है। तो हुम लोग उधार धर्म के पचड़े में ज्यादा हैं, लेकिन सही धर्म जो है वह धात्मनः प्रतिकुलानि परेशाम न समाचरेत हैं। इसके बारे में कत्तई हमारी कीई विलवस्पी नहीं है। हम इतने कूर, पाछल्डी ही गये हैं कि मन, बचन, कर्म सारे के सारे हुमारे दूसरे दूसरे हैं।

''मनस्येकम् बचस्यकम् कर्म मस्येकम महात्मनाम् ॥

मनस्त्यम् वचसत्यम्, कर्मसत्यम् दूरात्यनाम् ।।" तो हम इतने ब्रात्मा हो गर्वे जो हमारी संनक्षा में नहीं भाता है (समाव को खंडी) थीड़ा सा समय और द दिजिए क्योंकि मैं जाहता हं कि आप पशुओं का, पर्वायों का इंतजाम हंन से करें। इसके लिए श्रीमन् पैसे कमी नहीं है। हर गांव, हर शहर में, हर बाजार में हमसे धर्मादा का पैसा काटा जाता है भीर पता नहीं कितना धर्मादा पैसा सेंंं के यहां पड़ा हुआ है इसका कोई हिसाब नहीं है। हमारे लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सलेमपुर में जीएक छोटा सागांव है, दो वर्ष पहले टाउन एरिया हो गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वहां कई सेठों का घर धर्मशाला के नाम पर है कई सेडों का बगीचा धर्मशाला के नाम पर है। क्योंकि वह धर्मादाका पैसा जाये कहा। उन हे बेटे बेटियों की शादियां धर्मादा से होती है, उनका सारा व्यापार भी धर्मांदा के

पैस से चलता है। आणि आपने छोड़ रखा है ि यह सारा पैसा लेक जितना ग्रधिक स 4 P.M.

मोशालाएं बनव के लिए इंतजाम कोई कमी नहीं चाहता हं कि जितना कर मैं समझता है कि यह सेठों के यहां पड़ा हर इस पर कोई हिसाब

एक माननीय भवना

श्री सम नरेश **धर्मादा** कह लीजिए । चाहता हं कि गालनला कोई वैसा नहीं है धर्म-कमं के नाम श्रव कैंबल पैसा बसल । वस्ल हो रहा है, छ लिए नहीं। बटे बटे आराम के लिए हा

यह सना बहुत संशोधन किया है। ने हंकि पश जितने 👊 जर्माना कीजिए, प तक जुर्माना करिए तीन साल तक की मान उसका कोई असर कान्न बना करके प्र सारा रवदी की टे भ्रमर हम हस्तल ।

हमारा कान्-क्या मतलब है बतार्दे । सिवाः जब चाही, जहा केवल हड्डी मत नहीं चलेगा, इत

[क्षी राम नरेश कुशवाहा] जानता है कि जब तक हड्डी नहीं टूटेगी, हस्तकोप अपराध नहीं बनेगा । इसलिए हर अत्याचारी आदमी गरीब को जब भारता है तो कहता है कि भीतरी धाव शारना छह महीने चारपाई पर रहे, दूध दही फीजियेगा, मर जाये, पर टुटे-फुटे नहीं । यह हमारे कानून की हालत है। (समग्र की घंटी)

हमारे पास समय नहीं है और उपतमाध्यक्ष जी, आपने घंटी बजा दी है, नहीं तो मैं आपको बढाता कि अगर हमारा सारा कानुन - श्रगर हस्तक्षेप अपराध नहीं है तो वह रददी की टोकरी में चला जाएगा, क्योंकि उसका कोई भतनब नहीं है, चाहे वह दहेज विरोधी चाहे वह शारदा ऐक्ट हो, या चाहे इस तरह के जिसने भी है, कोई भी कान्न कोई मतलब नहीं रखता । मैं जानता हं कि पृलिस भ्रष्ट है। लेकिन भ्रष्ट भी पैसा बस्ल करने के लिए तंग करने जाएगा ना भीर भगर भ्रष्टता के लिए ही, स्वार्थ के लिए ही जाएगा दहेज वाले को पकड़ने के लिए (समध्य की घटी) तो कुछ लोग डरेंगे ग्रीर बिनाडर के राजा सोता है और दण्ड जागता है। मैं चाहता हं कि ग्राप सोते एहें सो गहे, हैं, लेकिन दण्ड को तो जागने दियाज ए।

एक मानवीर्य सदस्य : दण्ड को अगर सला देंगे तो?

श्रीराम नरेश कुशवाहाः अगर दण्ड को सुला देंगे, तो देश का सर्वन श हो जाएगा, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में मन्ष्य का सर्वनाम हो रहा है, जिसको च हो, जब चाहीं जहां चाहो, मार डाली, कोई पूछने वाला नहीं है। और हमारे थहां तो घाधे मंत्री डक्त हैं।

उत्तबाह्यक (ओ बार ० रामकृष्णन) : श्चन ग्राप समाप्त कीजिए ।

भी राम नरेता कुताबाहा : घमी अभी निभंद नारायण सिंह ने हमारे दो वार्यकर्ताच्यों को मरपा डाला है। रामेम्बर सिंह जीने उसको उठाया था।

to Animal? (Am&t.) Bill 1982

प्रभी मैं जांच करने के लिए बल्लिया गयाथा। तोपताचलाकि कुछलोग जो गाड़ी पर चढ़ाने के लिए आए थे, उन्होंने वताया कि सहतवार के बानेदार ने किसी को पकड़ करके मार डाला । तो यह हालत है हमारे यहां, बादमी की की मत तो है नहीं, तो पशुक्रों की कीमत आप क्या करेंगे।

हमारा आपसे नम्म निवेदन है कि इस विधेयक में सजा बढ़ाइये वरिक इस विधेयक को बदल करके नया विधेयक लाइये, जिस प्रकार भैंने बताया है और मन्त्य पर भी रहम करने के लिए कोई उपाय निकालिये । ग्रगर नहीं करेंगे तो हम वया करेंगे। (सम्ध की घंटी) अब आप घंटी बजा रहे हैं, तो मैं समाप्त करता है।

श्री विश्वम्तर नाथ पांडे प्रदेश): उपसभाध्यक्ष जी, यह जो अधि-नियम सदन के सामने है, मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुया हूं, जैसा आपने तिम्बल्ल्या के कथन से अपना भाषणा समाप्त किया, यह सच है कि भारत की परम्परा में, पूराने संतों की परम्परा में जीव दया का बेहद महत्व हमारी संस्कृति में रहा है।

एक पौराणिक कथा के अनुसार ईश्वर नेपहले चारप्राणियों का सुजन किया, एक मनुष्य, दूसरा बैल, तीसरा बूरता ग्रीर चीचा पक्षी उल्लू । ग्रीर इत वारों से कहा कि जाग्रे, तुम को चालीस-चालीस वर्षं की ग्रायु हमने प्रदान की है। मन्ह्य का दिल छोटा हो गया। 40 वर्ष में क्या होगा मनुष्य योनि में ? यह 10 वच का जीवन मिला तो वया होगा

to Animals

इसमें ? लेकिन वह समझदार इन्सान था । उसने बहुत नम्मता से भगवान की प्रणाम किया और कहा धन्यवाद, इस क्रवा के लिए। जब बैल की वारी आई उसका वनाया गया, उसको काम दिया गया, तो वह रोने लगा ग्रांर बोला, मुझे खार्ला बोझ ही उठाना है, तो 40 वर्ष तक बोल उठाना भेरे लिए असंभव हो भाएगा । मनव्य खड **या**, उसने भगवान से बायना की कि इसका दृ:ख मैं ले लगा, इसी से पृष्ठ लीजिए, कितनी ग्राय इसकी चाहिए । बैल ने कहा कि बस, 20 वर्ष से ज्यादा में काम नहीं कर सकता। तेः मनुष्य ने कहा कि भापने मुझको भानव बनाया है, मझे हृदय दिया है, इसलिए मैं वह चाहता हं कि इसका अध्य में बर्दाश्त करूं। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम बर्दास्त कर सकते हो, तो 20 दर्जकी बायु बीर लेलो। तोमन्ष्य इस प्रकार 40 से 60 वर्ष हो ग**ाधीर बैल की ध्राय हो** गई 20 वर्ष । कुले की बारी ब्राई तो उसने कहामुझे आयने काम दिया है भौकते का. तो कितना भीक्यां ? 40 वर्ष तो बहुत होते हैं। तात्मको कितनाचाहिए? मन्ध्यने कहा, इसका कष्ट उठाने के लिए तैयार हं, त्य कितना चाहते हो ? कृती ने कहा 12_ वर्ष। कृते की श्राय 12 वर्ष हो गई। मक्ष्य ने उसके 28 वर्ष ले लिए। को मस्य की ग्राय हो गई 88 वर्ष, बैल और कृते की भाय को मिलाकर। अब उल्ल की बारी आई तो उसने कहा मेरे लिपदं यह काम है कि मैं मंधकार में देखता रहं। 40 वर्ष तक देखना तो काँउन काम है। जिलना चाहते हो ? कहने लगा, सिर्फ. 20 वर्ष। मन्द्य ने वहा इसके 20 वर्ष मैं लेने की तैथार हूं। तो इस तरह मनव्य की ग्राय हो गई 108 वर्ष, और इसीलिए लिखा जाता है, श्रीमान 108। मनप्य ने यह विश्वास दिलाया कि उनकी जो मैंके द्वाय ली है, उसके बदले उनके साथ मैं दया का वर्ताव करूंगा।दया के साथ पेक ग्राउंगा। 619 RS-10

जब वे चले गए तो लक्ष्मी जी ने प्रछा भगवान से मनध्य बडा चतर निकला ग्रापने मब को चालीस-वालीस वर्ष की बाय दी थी लेकिन मन्ष्य ने 108 वर्ष की बाय ले ली। भगवान ने उत्तर दिया कि मनाय अपनी चत्राई में यह भूल गया कि उसकी भ्राय केवल 40 वर्ष की है। बाकी जिस-जिस की भाय ली है, उनके जो गुण हैं, उन्हें भोगना पहेगा। यानी,40से 60 तक उसे अपने परिवार के लिये पिसना पहेंगा और 60 वर्ष के बाद अपने नाती और पोलों को कलों की तरह मौकना पड़ेगा झार 88 वर्ग के बाद ग्रंधकार में चपचाप खा-मोश देखता रहेगा। तो इस तरह से, जो हमारी पौराणिक परंपरा है, उसके अनुसार, भी मनुष्य ने चत्राई से जानवरों की भ्राय ले ली, लेकिन यह विश्वास दिला कर कि उनके साथ बह दया का व्यवहार करेगा । लेकिन दया का व्यवहार उसने किया नहीं । बद्ध की कथाओं में वार-बार यह भाता है कि हे ब्राह्मण, इस गाय ने क्या कसूर किया है, क्या अपराध किया है, जो बेदर्दी के साथ उसका वध करते हो ? इसके बच्चे तुम्हारी खेती करते हैं। एक जगह नहीं कई जगह बद्ध का उपलम्भ ग्रातः है, जिसमें उन्होंने ब्राहमणों को विशेष रूप से जेताबनी दें है। ब्राह्मणों में भी सर्मा होते हैं। सर्मा का अर्थ देखें। संस्कृत के मताबिक श्री धातु से शर्मा शब्द निकला है:-

"श्री इति हिसायम् इति शर्मणौ" " याती, जो हिसा करे, यज्ञ में **ब**लि-वान करे, वह शर्मा । यानी, किसी जमाने में उनके पर्खे आर्माहए होंगे। यजों में बलिदान का काम उन के सिपुदं होगा । लेकिन बाज लोग उसी शर्मा शब्द को ग्रपने नाम के साथ लगा लेते हैं।

इसी तरह से भ्राप देखें, तो उत्तर रामचरित में, जब विशय्ठ मृति विश्वमित के ग्राश्रम में घाते हैं, तो उसका वर्णन उन्होंने किया है कि लोग बहुत प्रसन्न थे. कि इतने बड़े ऋषि हमारे आश्रम में आये हैं

[ओ विश्वस्थर नाथ पाण्ये] मिलने-जितने उनके शिष्य ये विश्वामित्र के. जब वे उपदेश सुनने के लिये दैठे तो एक शिष्य को लगा कि उसका माथी कहीं गायब है। वह उसको हुं दते हुए जब गये तो उसने पाया कि वह एक पेड के नीचे बैठा हुआ रो रहा है। उसने कहा कि इतने बड़े मनि हमारे धाधम में भ्राये हैं, उनका उपदेश सुनने के बजाय तुम रो रहे हो। उसन उत्तर दिया कि जिस कपिल गाय के बछड़े को हमने इतने प्रेम से पाला था. बह भाज शाम ऋषि के उदर में चला जायेगा। इसका श्रर्थ यह है कि उस जमाने में भी जब बढ़ के इतने ग्रनयायी हए. तो इस लिये हए कि बढ़ ने यह प्रवाज लगाई कि पश्रमों का वध नहीं होना चाहिए.: क्योंकि उस समय हमारी संस्कृति कृषि की, अग्रिकल्चर की संस्कृति थी। उसके लिये हमको पश्यों की मावश्यकता थी। पणग्रों के बचाव के लिये बदा ने जब धावाज लगाई कि हत्या बन्द करो तो बहुत वडी संख्या में कृषक बौद्ध धर्म के अनुयायी बने । यह इतिहास की बात कि किस तरह से आधिक प्रका धर्म की वृद्धि में महायता देते हैं।

The prevention

of Cruelty

अब श्राप देखें कि हमारी संस्कृति के साथ पूरी तरह हो जानवरों का. पश्यों का योगदान बना हम्रा है। भ्रगर इंद्र हैं साथ एराबत हाथी है विष्ण हैं. तो उनके साथ गरुड है. शिव का बाष्ट्रन नन्दी है, यम का बाहन कुत्ता है, सरस्वती का वाहन हंस है, गणेंग का बाहन चहा है । इसी तरीके कार्तिकेय का वाहन मोर है। तो हमारे यहां हर देवता के साथ वाहन के रूप में एक न एक पश या पक्षी की सवारी निश्चित कर दी गई है। इस प्रकार हमारी संस्कृति में विशेष रूप से एक पश को मन्ष्य के साथ उसी आसन पर बैठाया गया है, उनको उतना ही पुज्य माना गया है जितना किसी दूसरे को माना जा सकता है।

भनवान के ब्रवतारों कच्छ, मच्छ बाराह और नरसिंह गादि इस तरह के भवतारों की हमने कल्पना की है। जो अवतार पश्चओं के साथ मेल खाते हैं ग्रौर उनका स्थान किसी न किसी रूप में हमारी पौराणिक कथाओं में झाता है। ग्रगर इस्लाम में पैगम्बर, रसूल-श्रल्लाह महम्मद साहब की जिन्दगी को देखें तो ऐसी कई वारदातें माती हैं कि मगर चिडिया के बच्चे को भी कोई उठा लाया. तो उन्होंने कहा कि उसको बापस ले जाकर घोंसले में रखा। उसकी मां ग्रायेगी और बच्चे को नहीं देखेगी, तो उसे कितनी तकलीफ होगी । इस तरह के करीब करीब हर धर्म में इस प्रकार के सिद्धांत पर जोर देता रहा है कि पणग्रों के साथ दया का भाव हमको रखना चाहिए । इसलिये सम्प्राट ग्रशोक ने भी गो-इत्या ग्रीर उसके साथ-साथ जीव हत्या बहुत दिनों के लिये बन्द कर दी थी। यहां तक कि अकबर ने भी उसका पालन किया । अकबर ने 56 दिन ऐस साल में बताये जिनमें जीव हिंसा नहीं होनी चाहिए । इस तरह का फरमान ग्रकवर ने निकाला था । ग्रीरंगजेव के जमाने में भी गो-हत्या बिल्कुल बन्द थी। पहली दफा लार्ड लैंक की ग्रामी ने भरतपर पर हमला किया तो उन्होंने सौ वर्षों के बाद गो-हत्या प्रारम्भ की। बाद में ग्रंग्रेजों के शासनकाल में भी ऐसी स्थिति या गई कि इसी चीज को लेकर हमारे यहां दंगे-फिसाद होने लगे । ग्रकबर इलाहाबादी ने एक बड़ी चटकी लेते हुए कहा था कि जब कुरबानी के लिये गाय लो जा रही थी तो हिन्द पैसे देकर उसको छडा लाये । लेकिन ऊंट की क्रवानी बराबर की गईं। तो प्रकबर इलाहाबादी ने लिखा है: ---

to Animals

(AmM.) Bill, 1982

छटी जो गाय माता. हजरत में ऊंट बोले। ग्रफसोस गेख जी ने. हमको पिता न माना।।

मुझ से कहा

धगर मुसलमान ऊंट को पिता मान लेते तो ऊंट को वह बचा लेते । सिर्फ यह है कि जीव दया के साथ साथ हमारे यहां चल रहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा जीवों को आरक्षण दें। इसके साथ साथ क एलिटी भी हमारे यहां बहत ज्यादा है । गांधीजी ने 1916- 17 में जब वह यहां आये थे, तो कलकत्ता में उन्होंने देखा फंक प्रया को वजह से गायों को किस तरह से बरबाद किया जाता है ग्रौर दूध निकालने के लिये ग्राखिरी इाप, आखिरी बंद तक निकालने की कोशिश की जाती है। उन्होंने उस वक्त से गाय का दूध पीना बन्द कर दिया । अंतिम जीवन तक गाय का दुध नहीं पिया । बाद पिजराप ल पिजरापोल में पाया रखने का प्रवन्ध किया गया । वे पिन्जरापील भी ऐसे रहे कि वहां ज्यादातर धर्म के नाम पर बहुत सी गायौँ को उन्होंने इकट्टा दिया, लेकिन उनकी देख-रेख काम किसी ने नहीं किया, किसी ने वैज्ञा-निक तरीके से नहीं किया **जिकायत** बराबर गांधीजी करते रहे कि हमारे पिजरापोल वास्तविक पिजराप । ल नहीं देखा कि वहां विदेशों इस चीज को लेकर काफी प्रचार हो रहा है कि वैजिटेरियन, निरामिष भोजन का प्रयोग हो । स्टाकहोम विश्वविद्या-लय में भारतीय संस्कृति पर बोलने के लिये मुझे बुलाया गया । जब मैं गया तो इंडोलोजी डिपार्टमेंट को जो हैड बीं मैडम हंसा ग्यलेवा उन्होंने पूछा कि आप रात का भोजन कहां कर रहे हैं। मैंने कहा कि मैं रात का भोजन होटल में कर रहा हं। उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ भोजन करना पसंद करेंगे ? मैंने उनसे कहा कि इससे बहे कर ग्रीर क्या बात होगी । मैंने कहा निरामिष भोजन की आदत है । उन्होंने

"I am also a vegetarian. What would you take for your vegetarian diet?"

मैंने उनसे कहा कि दूध या दही या उबली सब्जियां अगर चाहें तो दूध और दही गाय के दूध से ले लें और मक्खन में सब्जी तल दें।

She asked me. "you take milk and milk preparations?"

"He see et a see en "
"Milk is hardly vegetarian. It is an animal food."

उन्होंने कहा मैं आपको ऐसा भोजन दंगी जिसमें मिल्क प्रिपरेशन नहीं होगी । चुनांचे उन्होंने जैतून का तेल और यालि-वायल में भीर दूसरी चीजों में भपना भोजन तैयार करके दिया । यूरोप में साइंटिफिक तरीके से इस बात की कोशिश होती है कि वैजिटेरियन भोजन एक सांइंटिफिक तरीके से लिया जाये । काफी संख्या में वहां वैजिटेरियनइज्म बढ़ रहा है। हमें यह देखना है कि किस तरह का यह बिल है। वैसे यह भ्रच्छा है लेकिन मुझको जो तजुर्बा है, मैं वह भ्रापको बताता हं। जब मैं इलाहाबाद म्यनिसिपल बोर्ड का चेयरमैन था तो वहां प्रिवेंशन आफ ऋएलिटी एट् निमल्स डिपार्ट-मेंट म्यनिसिपल बोर्ड के सुपूर्व था । वहां मैं देखता था कि उस जमाने में यह कोग्निजेबल अफेंस नहीं था। उसे कोई रोक नहीं सकता था । इसमें ग्रापने इजाजत दी है । ऐसे ग्राफिसर्स को जा कांस्टेबल है उनके श्रापने कर दिया है : फिर भी श्रापने जो पहले घफेंस, दूसरेबार के घफेंस या तीसरे बार अफेंस की बात कही है, बहुत मुश्किल होता है कि पहले अफेंस वालों को पकड़ लिया तो दूसरे बार वाले को दूसरा करें कि उसने या नहीं, तीसरा अफेंस किया या नहीं बडा कठिन काम है पहले अफेंस के बाद

of Cruelty

[श्री विश्वम्भर नाथ पांडे] दूसरे या तीसरे अफेंस की किसी की सजा दिला सकें।

तो महज कागज पर कोई बात रखने से अपराध नहीं रुक, सकते हैं । पहले अफेंस में उसको इतनी सजा मिल जाबे कि जिससे वह दूसरा अफेंस न कर सके और तीसरे अफेंस की उस में जुर्रत ही न हो सके । मुझे ऐसा लगता है कि इतना मजबूत आपका संशोधन नहीं है, जो आप इस बिल में लाये हैं; क्योंकि इससे कोई बहुत बड़ा नतीजा नहीं निकलेगा।

जैसा मेरे भाइयों ने सरकार का ध्यान सवारियों की तरफ दिलाया है, मैं भी इस संबंध में कुछ कहना चाहता हं। सारे रूल्स सवारियों के संबंध में बनाये जाते हैं। लेकिन वे रूल्स ताक पर रख दिये जाते हैं । हमारे उत्तर प्रदेश में र्वेने देखा कि जिस वाहन में तीन सवारियां बैठनी चाहिए उनमें 8-8 और 10-10 सवारियां बैठा दी जाती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि जानवर का कचुमर निकल जाता है और उसका जितना ज्यादा से ज्यादा ए सप्लायटेशन हो सकता है, वह करने की कोशिश की जाती है। इसलिये यह भी देखने की बात है कि हमारे जो म्यनिसिपल लाज हैं, जो ट्रांसपोर्ट के संबंध में बनाये गये हैं उनको सख्ती के साथ कैसे ग्रमल में लाया जाये। जैसा अभी हमारे एक भाई ने कहा, हमें यह भी देखना है कि हमारे यहां से जो बन्दर बाहर एक्सपोर्ट किये जाते हैं उनके साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। मैंने देखा है कि इस प्रकार के बंदरों को बांस के किसी कटघरे में रखा जाता है और 20-25 बन्दरों को एक साथ रख दिया जाता है। वे प्यास से तडप रहे थे। ऐसी शिकायतें भी मिली है कि उनके पासेल जब दूसरे देशों में पहुंचे

तो ग्राघे से ज्यादा बन्दर मरे निकले इसलिये यह भी देखना है कि को एयर कंपनियां इस प्रकार के कारगों को ले जाती हैं वे उस कारगों को किस तरह से ले जाती हैं। उसके लिये भो कोई नियम होने चाहिए जिससे उनकी इस प्रकार से मृत्यु न हो सके और ठीक से ग्रपनी जुगह पर पहुंच सकें। कुछ रोग हैं जिनके व में एक्सपैरिकेंन्ट्स किये जाती हैं, खों की जाती है। हमें यह भी देखना चाहिए कि ये एक्सपैरिमैन्ट्स किस तरह के किये जाते हैं।

ग्राजकल स्थिति ऐसी हो गई है कि हम ग्रीर भाप तो वेजीटेरियन हैं, लेकिक बदकिस्मती से ग्राज नान-बेजी-टेक्शिन की संख्या हमारे देश में बहुत तेजी से बढ़ रही है। ऐसी जातियां जो पहले मांस नहीं खाली बी वे भी अब मांस खाने लगी हैं। मुझे यह सब देख कर एक बार बड़ी हैरत हुई। मैं मद्रास सं श्रारहाथा। उसी क्पे में नेरे **साथ** जो पेंसेजर बैठ हुए थे वे जैन से। वे सतना जा रहे थे। मैंने उनके पूछा कि आप क्या काम करते है तो कहने लबे कि मैं इंजीनियर हैं। उसके बाद हक्की खाने का आर्डर दिया। मैंने वेजीटेरिकन का भाईर दिया ग्रीर उन्होंने बान वेसी-टेरियन का अनर्डर दिया। आजकल हमारे वेश में इस प्रकार की स्थिति हो गई है।

उपसभाध्यक्ष (श्री मार राम्धृत्वत) : यव जमाना बदल गर्या है।

श्री विश्वेद्रमर नाय प्रश्वे : जी हां, इस प्रकार से रिवाज बदलता जा रहा है। सवाल यह है कि ग्राप वेजीटेस्यिन हों या नान-वेजीटेरियन हों, हम पश्चों के साथ दया का वर्ताव करते है या नहीं करते हैं। ग्रापने इस बिल के जिर्ये से जो संजोधन किया है, उसके जरिये यह देखा जाना चाहिये कि पश्चों के साथ दबा का बर्ताब किया जाये । भारतीय चंर्कृति की दृष्टि से भी पक्कों के साथ इया का वर्ताव होना चाहिये। इस दृष्टि के अवर आप इस बिल को देखें, तो इस किल को जितना महत्व दिया जाये, उज्जना ही कम है। इसके विपर त धगर हमारे देश में पश्चों के साथ निदंयता का बर्ताव होता है तो लोग हमारे बारे मैं क्या कहेंगे ? हिन्दुस्तान में धहिंसा भीर थया का भाव होते हुए भी भीर इस देश में भगवान महावीर, वृद्ध और गांधी जी और महापुरुषों की शिक्काधों के बाब-जुद्ध भी अगर पशुओं के साथ दया का बर्तीव नहीं किया जाता है, तो वह हमारे लिये अञ्छा नहीं है। इसलिये मेरा कहना यह है कि हमें ऐसा कानून चाहिये जो एनकं से हो सके और जो हमारे देश में ऋएलिटी ट्र एनीमल को रोक सके। भावारा कुत्तों की भी जहां तक बात है भीर जैसा कि आपने इसमें जिक्क किया है, उनकी इस तरह से मृत्यु होनी चाहिये जिसमें कि उनको ज्यादा तकलीफ न हो। मह भी एक ग्रन्छ। इसमें संशोधन है धीर यह इसमें देखने का प्रयास करें कि किस तरह से कोई ऐसी विधि निकल सकती है, जिससे उनको निर्दयतापूर्वक बध न हो, बल्कि धासानी से धीर जल्दी से जरूदी उनके प्राण निकल सके। इन बातों को देखते हुए इस बिल की जो मने

भी प्रसारे लॉल खंडेलवाल (मध्य प्रदेश)ः उपसमाध्यक्ष जी, यह जो संशोधन विधेयक लाया जा रहा है, म इसकी भावना से तो सहमत हं लेकिन मेरी मान्यता यह है कि यह

बात कही कि कहीं-कहीं जितमा कड़ापन

इसमें होना चाहिये, वह इस बिल में नहीं

है, नैकिन फिर भी यह बिद्ध उपयोगी है

श्रीर इस लिहाज से मैं इसका पूरी तरह

से समर्थन करता हूं।

कानुन अभी भी अध्या है ? बात की गई है कि दयाका भाव भारतीय संस्कृति की विशेषता है। यह बात सही है कि चराचर के प्रति दया दिखाना भारत भ्रीर भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है, लेकिन अफसीस की बात यह है कि जो इस सँगीधन को लाये हैं उन्होंने पशुमात्र के प्रति दया का भाव नहीं दिखाया। यह ठीक है कि पंशुघों को कूरता से वध करने का जो काम है, उसको रोक्न की कोशिश की जा रही है, लेकिन पश्-मात के लिये इसमें दया का भाव नहीं, है। सारा देश इस बात से परिचित है कि हमारा देश एक कृषिप्रधान देश है और एक कृषि प्रधान देश होने के नाते यहां की सारी ग्राधिक व्यवस्था भी बहुत हद तक पशुद्रों पर निर्भर है। गाय, बैल और ग्रन्थ पशु या जो दुधारू पशु हैं, ये सब हमारी आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ की हब्दी हैं। अगर मैं यह कहं तो यह अर्तिशयोक्ति नहीं होगी। अभी मेरे पूर्ववक्ता माननीय कुशवाहः जी सरकारी संत के संबंध में कह रहे थे। परन्तु महात्मा गांधी ने तो गो वंश की रक्षा के लिये यहां तक कह दिया था कि गो हत्या रीकना, मेरे लिये ग्राजादी जैसी महत्व की बात है।पर यह जो कानून लायाजा रहा है, इसमें पूरी तरह से गोवंश की हत्या को रोकने का कोई उल्लेख नहीं है । देश में गो हत्या के रोकने के लिये सर-कार कानून बनाये। इसलिये सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिये सोचना चाहिये कि इस बारे में वह क्या कर सकते हैं। केवल इतना ही सवाल नहीं है, आजकल तो एक बात और है कि पशुस्रों से खाद ग्रीर ऊर्जा बहुत बड़ी मात्रा में प्राप्त होता है। खाद का उप-बोग कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये होता है। आजकल यह बात कहमा कि धगरकोई पश्, जो दुधारू नहीं है वह अनुपयोगी है यह बात सही नहीं है। दुधारू पशु जो

to /rntmaw (AmM.) Bill, 1082

of Cruelty (श्री ध्यारे लॉल खंडेलवॉल)

द्ध नहीं देंते है, ग्रगर उनको गोशाला में रखा जाये, तो उनकी खाद से ऊर्जा मिल सकती है, उनकी खाद को खेतों में, जमीन में, उल कर अन का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यह प्रश्न ग्रलग है। प्रश्न इस बात का है कि सरकार ने जो व्यवस्था बनाई है, इस कानून के धन्तर्गत जो संशोधन सरकार रखने जा रही है, उस सम्बन्ध में मैं कुछ बातें सरकार के ध्यान में लाना चाहता हं। यह जो भारत पश् कल्याण बोर्ड बनाया जा रहा है, पशु कल्याण बोर्ड में जो संशोधन लाये जा रहे है, इसमें कई खामिया हैं। जैसा कि मेरे माननीय पूर्व वक्ताओं ने कहा है नगरपालिका क्षेत्र में जो इनकी संख्या 5 शी, उसकी जगह दो क्यों कर दिया, इसका क्या कारण है ? फिर भारत पश कल्याण बोर्ड जो बनाया जा रहा है उसमें भन 28 सदस्य होंगे भीर 28 सदस्यों में से मध्यक्ष भीर उपाध्यक्ष का जो चयन होगा, वह सदस्यों के द्वारा नहीं होगा, बल्कि इनको सरकार नामजद करेगी। श्रभी यह बात ठीक कहीं गई है कि बोर्ड का हैड-ग्राफिस होगा मद्रास में और अध्यक्ष रहेंगे दिल्ली में। सवाल यह है कि इस तरह प्रशासन कैसे बलेगा। क्या सरकार ने कभी सोचा है कि इस कल्याण बोर्ड के द्वारा जो मान्यता-प्राप्त 60-65 संस्थायें हैं, जो संस्थायें वशु कल्याण का काम करती हैं, क्या उनके प्रतिनिधियों को इस बोर्ड में नहीं रखा जा सकता ? ऐसे लोग जो पशु कल्याण के काम में रुचि रखते है, इसके विशेषज्ञ हैं, क्या उनको ईस बेंड का ब्राध्यक्ष सरकार नहीं बना सकती ? झगर सरकार इस बोर्ड में पदाधिकारी नियुक्त करते समय केवल इस बात का ध्यान रखेगी कि कौन रिटायर हो रहा है, किससे राजनैतिक स्वार्थ पूरा हो सकता

है, किसे उन्हे खुश करना है और बही अध्यक्ष बनाया जाता है, तो वही होगा जैसा अभी तक होता रहा है। बोर्ड का अध्यक्ष और पदाधिकारी वही बनाये जाते हैं जो कहीं न कहीं रिजेक्ट होते हैं या जिन्हें राजनैतिक दृष्टि से खुश रखना होता है।

ऐसे लोगों को किसी न किसी **बोर्ड** या निगम में नामजद किया जाता है, ग्रभी तक का इतिहास तो यह है ग्रीर क्या पशु कल्याण बोर्ड में इस तरह के ध्रधिकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बनाये जायेंगे? होना यह चाहिए कि सरकार को अपने संशोधन में यह बात बहुत साफ तौर से लिखनी चाहिए कि पश् कल्याण बोर्ड जो बन रहा है, सारे देश का, उसमें जो ग्रध्यक्ष, उपाध्यक्ष होगा, जो बोर्ड के सदस्य होंगे वे सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जो किसी न किसी पण कल्याण संस्था से संबंधित होंगे, जिनकी इस कार्य में रूचि होगी इस प्रकार का यह संशोधन होता तो ठीक होता । एक बात और कही गई है। कानन की बात अभी आई है कि दंड 50 रुपये कर दिये हैं, मेरे पूर्ववस्ताधों ने भी कहा, मैं उनसे सहमत हूं कि जिस पण् की हत्या की जाती है, उसकी कीमत से ज्यादा दंड रखें, ग्राधिक रूप में तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा । मुझ्ने पता है मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में इन दिनों कुछ घटनायें हो रही हैं। दुधारू पशुप्रों को, कृषि उपयोगी पशुधों को वैनों को जहर देकर मार दिया जाता है और बाद में उसकी हड्डियां निकाल कर फटि-लाइजर के कारखानों में बेच दिया जाता है। इसके लिये क्या किया जा रहा है? 50 रुपये के दंड से इस प्रकार की घट-नाओं को नहीं रोका जा संकता है। यह बहुत बड़े पैमाने पर ही रही है। कसाई-खानों की बात आई । मैं सरकार का ध्यक्त इस घोर दिलामा बहाता है

The Prevention

301

to Antmam (AnwJt.) Bill, 1982

0/ Cruelty कि गर्भवती पशुद्धों को किस क्रुरता से मारा जाता है नमें चमड़ा प्राप्त करने के लिये । चार-छः महीने का बच्चा जो गाय या बकरी के पेट में होता है, उसको मारने के लिये. उसको पशुधों के पेट में स निकालने के लिये जिस बेरहमी से कसाई घर में उसका मारा जाता है, में समझता हं कि उसकी रोक के लिये इसमें कोई प्रावधान नहीं है । यदि 50 रुपये दंडी है और उसमें किसी को पांच सौ छः सौ रुपये कम,ना है, तो वह श्रासानी से 50 रुपये दंड देदेगा । इस विधेयक में इसके लिये कोई प्रावधान सरकार ने नहीं रखा है। इस संबंध में प्रश्न केवल यहां इसी प्रकार के पश्चीं का ही नहीं, जंगली पश्चीं का भी सवाल है। ग्रानकल सांपों की खाल का व्यापार बहत तेजी से चल रहा है। यह ठीक है कि सांप अपने आप में एक न्कयानदायक जन्तु है. लेकिन जिस बेरहमी से सांपों की मारा जाता है इसके बारे में पिछली बार श्रखवारों में श्रामा था. ग्रान्ध्र की घटनायें छपी थीं कि सांप को बड़ी बेरहमी से मारा जाता है। उनकी खाल निकाल कर धवैध व्यापार करोडों रुपये का हो रहा है। यह हाल जंगली पश्झों का होता है। हिरण मारे जाते हैं। खरगोश की नस्ल खत्म होनी जा रही है। सरकार इसके बारे में क्या सीकती है। इस प्रकार से पण्यों का करतापूर्वक वध किया जा रहा है. नस्त खरम हो रही है। मीलगाय खन्म हो रही है। गैंडा खन्म हा रहा है। यह मत्र ब्यापार के निये हो रहा है और **एम द्**ष्टि से भेरा यह सुझाव है कि यह जो बिल लाया गया है. यह अध्रा है। सरकार इस पर पुनः विचार करके इसकी समिवित कानुन के रूप में प्रस्तावित करे । उसको मिलैक्ट कमैटी के मुप्दं कर दिया जाये : क्योंकि अध्रा कानून वाले में कोई लाभ नहीं होगा । यह बात ठीक है कि कानून लाना चाहिए ग्रीर

पणुद्रों के ऊपर दया दिखानी चाहिए। इससे मैं सहमत हं, लेकिन जो इसमें कमियां हैं, सरकार उन पर भी विचार करे। छुट-पुट रूप से संगोधन लाकर पास करने के बजाय इसको सिलैक्ट कमेटी के सुपूर्व करे, ताकि पूरी तरह से विचार कर के इसको एक समुचित कानुन बनाया जा सके। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

SHRI SANKAR PRASAD MITRA (West Bengal); Mr. Vice-Chairman, Sir, the historical and cultural aspects of the matter have brilliantly been dealt with by the other speakers. The main purposes of the amending Bill appear to be four. No. 1; The Animal Welfare Board constituted in 1962 is proposed to be given a national character and would now be called the "Animal Welfare Board of India" which would be a broadbased body. No. 2; to make provisions for rescue homes and .shelters lor arimals. Number ?:, to prohibit malpractices for improving lactation. And number 4: to control and supervise experiments on animals.

The crying need of the hour, Sir, as in the case of the Illackmarketing Act, amendments to which were passed yesterday, is the strict implementation of the provisions of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960, which would include these amendments, coupled with incessant educative propaganda by a uell-knit machinery which is >o operate under the supervision oi ihis Ail-lDdui HoarJ.

What is ihe poskioo today? What is ihe actual state of affairs'? The other speakers have given many examples. Let me die a few instances. If you go to the k.tthals of any of the metropolitan chits u! India where milch cow and buffaloes are kept, you would find that they are injected every day for improving lactation and the milk that is produced out of them is supplied to the customers for consumption. Many of their calves are deliberately injured in order that they could be »old m the market as quickly as possible. Secondly, particulai ly in metropolitan dues, which aro thistly popula'.ad, lac

[Shri Sankar Prasad Mitra]

methods of catching street dogs, which constitute a menace to the public, are still primitive and cruel, apart from the negligence of the authorities concerned to act promptly and diligently. Thirdly, Sir, go to the slaughter houses. In the city of Calcutta, there is a voluntary organisation called "All Lovers of Animals Society". I was informed only the other day by one of the active members of this organisation that one of the slaughter houses was supplied with modern instruments for painless killing. But the slaughter house people are unwilling, are reluctant to use this machine because they are afraid of being electrocuted.

Then, Sir, there are prejudices of conservative sections of various religious communities regarding the methods of killing the animals or birds for human consumption. In a secular society, no law can be applied to such prejudices. These prejudices can only be removed by educative propaganda. These methods which are applied in temples, mosques and various other places are not only cruel but they are barbarous and usuited to a civilised community. But the practices are going on because we have failed to convince our own people.

Sir. ihe medical facilities for animals ate also inadequate even in the urban areas, not to speak of, the villages. Then agiin beasts of burden are mercilessly treated and the agencies to stop these cruelties are either inadequate or easily purchaseable.

These ate the various problems, various difficulties which the authorities have to face and the law-implementing authority has to face them boldly and courageously if this Act is intended to be sincerely and seriously applied.'

It should however be admitted. Sir, that in recent times arrangements have been made, in fact, elaborate arrangements have been made, in many of the States for wildlife preservation. I have seen some of these arrangements in the States of Bihar, Kerala, Assam, Rajasthan and West Bengal in their reserve forests ot sanctuaries, aiid I hope the problems that these forests and sanctuaries are facing—problems of poacr-

ing, of indiscriminate hunting expeditions by the rich and the affluent, etc—would soon be overcome

The Government should also pay more attention to better maintenance and preservation of zoological gardens and the environmental problems of these gardens. You will be surprised to know, Sir, that in one of the zoological gardens in our country, of which we were all proud, something very strange has recently happen-ld. A portion of the land ofthat zoological garden has been leased out and a five-star hotel complex is coming up there. How a five-star hotel complex in the metropolitan city of Calcutta would improve the atmosphere of the zoological graden my small intellect fails to understand, (Time-bell rings).

Sir there are all matters to which I dra-v the attention of the hon. Minister and I hope, since this is a Concurrent subject—a subject in the Concurrent List of our Constitution you would take some active steps in (his hehalf

With these few words, Sir, I support the Amendment Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN): The time given for this Bill by the Business Advisory Committee is over. So, since there are four or five speakers more, I would request them to be a little brief so that we can conclude the Bill today. Shri S. K. Sahu.

SHRI SANTOSH KUMAR SAHU (Orissa): Mr. Vice-Chairman, Sir, I stand to support this Bill. The aims and objects of this Bill as presented in this House are very clear but while we go through and discuss the Bill, I would like to say some thing.

We have already discussed in "this House the cultural and traditional background of kindness to animals in this country which has been there for thousands of years. But. more than that, it has alio been stressed that for reasons of economy, still 70 per cent of our population depends on agriculture. But since mechanisation has not come in a big way into the agricultural sector, our people depend on the bullock. Not only that. Bullock carts carry more

ki.ometre tonnes of goods than the Indian Railways in which we have invested thousands and thousands of crores in this -f country today. So, for the country's development, it is necessary that there must be something for the development, care and maintenance of the animals. This is necessary if we want that our economy should develop.

While having a technological approach to the problem, we have to say another th.'ng also. The world is facing an energy crisis and, as you know, where science and technology is concerned today, animals are not only the carriers of goods or are used for ploughing thi fields but they also give us potentialities for creating energy by which millions of people cau cook their food. So, whatever Lord Krishna told or Bhagwan Buddha told cannot be neglected in a country like India where agriculture is the prime factor. Sir, I think this Bill is very important and it should be given more time and there should be a more serious thought over the problem. Sir, in this world, science and technology is changing very fast, but still we hav; to see that in the present days, whatever we may say, what is more necessary is the implementation of the laws. It is very difficult to implement the laws. By what was said or done by Bhagwan Buddha Lord Krishna, the society carried a sense of purpose, a sense of dedication to the animals. But now whatever law you may pass in the House. I would humbly submit, cannot be enforced properly in a vast country of so many villages where we have the largest population of cattle, of cows and bullocks, in the whole world. It is not possible that these laws can be implemented everywhere.

So, Sir, I not only support this Bill but I would also humbly submit to the hon. Minister that there must be a national consensus which must be created ahout the utility of taking care of the health of the animals and giving them proper care in the interest of development of the society.

Then, coming to the Bill, I would like to humbly submit that it is true that there has been some new thought which has been injected in the Bill, like naming it as the Animal Welfare Board of Indh, to

give it a national character. Very correct It is said here:

to Anymais

(Am/it.) Bill, 19S2

"three persons who, in the opinion of the Central Government, are or have been actively engaged in animal welfare work and are well-known humanitarians, to be nominated by die Central Government."

But India is such a vast country. How can that be considered adequate? Many people have dedicated their lives for love of the animals, who have done yeoman's service to the country and also for preservation of wildlife, like Dr. Sahm Ali who has become a world known figure for preservation of the rarest species which are going to be extinct from the country.

Then I pose a question here. It is a question addressed not to the Minister or the Government but to the society in general. We see the purpose of the original Bill which came in 1960. It was mainly to see that the animal life is protected. We have enacted so many laws like Preservation of Animals Act, this Act, but we see that the rare species are going, to be extinct from this country. For some reason or the other, for commercial reasons, we find that their number is depleting. It is a national calamity for the country because of three things. These animals are there not for tourists or other things. They are necessary from the point of view of ecological balance also. Sir, if we do not maintain, as rightly pointed out by the previous speaker, the social environment, the natural environment, if we allow one to be extinct, the other cannot survive.

Then I come to the other point. The Indian economy *is* dependent on bulicck-cart. Whatever progress in science and technology we may have made, we cannot ignore it: If we analyse it in actual terms, we find that, in spite of spending thousands of crores of rupees on the development of Railways, the bullock-cart is still the main carrier of goods. As I was saying in the beginnir more in terms of kilometres and tcufti^oge than the Railways or the Airways So we see the importance of it.

Now, coming to the Bill, I was trying * to say that the Government should bring

LShri Santosh Kumar Sahu]

a new thought and a comprehensive Bill where we can lake into consideration ihesc new developments. Then we have 10 develop some institutions. We cannot really say: You are the people who have io keep them and you have to feed them. When the people are under-fed, how can we force them to feed the animals? Whatever rules you make, I apprehend that all these noble ideas and pious wishes expressed in the Bill, cannot bear fruit. I would like to ask you one thing. It is true that some cruelty is done deliberately. We punish them. There is nothing urong in it But, Sir, in this country we have the largest annial stock in this world. If we say that any police officer above the constable can prosecute any keeper of an animal, who is not giving proper food, half of the people of India would reprosecuted. It is a very funny thing. These laws, if we make, cannot be enforceable. (Time bell rings).

Coming to another pan of the Bill, 1 would like to say something. 1 hope you wiN give me more time. Sometimes the laws are made with very good wishes, but the implementing and the prosecuting authorities do not think about the intention of the law. The letter of the law is followed. If we have many laws like this. I think it does not help. Instead of that, what 1 am saying is that the /tteti-service, the insurance service and also the *piujrapole* and ilher things must be improved. There .ire other very important things in the country. There is no quality control over the cattle fodder. These things should take place.

Dr. Milra told very nicely that there should be education and propaganda. I'eople must be aware that cattle is doing immense good to us and that we must see that they are properly maintained. So, many institutional devices can be found out in the country so that the animal health can be properly maintained and improved. That is why the necessary veterinary bill is coming. I am suggesting about it, not only the Veterinary Council Bill which has gone to the Select Committee.

One important thing, we are forg«>lti.ig in this country today. It is not that ibis country was without science. It hvt very

developed science under veterinary also. We have not recognised vaidya uptill now. Many cows and bullocks are bene-lited. Even in the held of medical science, C hinu is taking acupuncture to other developing countries. That was in India also. We are forgetting that. The ve.tenuaty bills which are coming will also take into consideration the local, indigenous, pro-duets. It has done immense good. I sa' in inscription in Orissa written after Ashoka's Kalinga War, saying, "Be kind to *animals." There must be places for treatment of animals. This should be taught.

We foreg! them. We see modern science. We have the veterinary bill- There ;ire now trained people. How ican the people get benefit? We talk of the common farmer. The veterinary doctor does not go!o him. So. it is necessary in this country. Animal has helped the human society io yiw. It is necessary that the institutional services for them should also grow. It w necessary that more fodder, cheaper fodder, should be produced, an insurance scheme should come, the veterinary set vice must take into consideration the local vaidyux, and local, indigenous cheaper medicines can be produced. These things will really do some good to the whole country.

C oming to other points in this Bill, it has been mentioned:

In section II of the principal Act

- (a) in sub-section (1),—
- (ii) in clause (c), for the words "any domestic or captive animal": the words "any animal" shall be substituted;"

Again it is written:

"(iii) in clause (n), for the words "any captive animal", the words "any animal shall be substituted:'

So. Sir, twice they have done it. In one of the provision they ;ouid have icpl "any domestic and captive antmat" and in the other they could have kent "any animal", In both the places th »);•.ei-ary.

Then, I only ask a question. Using an animal as a bail in a tiger or other sane-tuary is not good, li is cruelly. I wou'd like (he hon. Minister to clarify in his statement whether cock fight and bird light come under the entertainment provision or not. Many common peopb in these villages enjoy these games very much. So by this Bill, they may also be prosecuted because the laws are made here, they are interpreted by the courts and the prosecution is done by some other people. So it should be made clear that these games which are common entertainment for tee common people of the country should not come under its purview. Then 1 feel that the provision for prosecution should have at least another sentence, that is, it should apply only when deliberately the animal is kept underfed or put to cruelty because when a man dois not get food for himself, if he keeps a cow or a bullock, there is no alternative for him: he cannot teed it. So he should not be prosecuted unnecessarily. (Time bell rings) There ars many olhet things, but you have already rung the bell ;hrice. 1 vill only say that our animal wealthshould survive. They have done us immense service and they will be doing us immense service. Let us try to develop some institutions by which we can preserve, protect and develop our animal weuith.

THE VICE-CHAIRMAN iSHRI K. RAMAKRISHNAN): All the remaining speakers are requested not to take mote than two minutes each. Mr. Sukhcleo Prasad.

श्री सुखदेव प्रसाद (उत्तर प्रदेश) उपसभापति महोदय, िमवल ऋएलिटी बिल जो सदम प्रस्तुत है मैं इसका स्वागत करता है। सबसे पहले मैं इस बात का मैकेन करना चाहता है, कि जानवरीं के प्रति जो ऋएलिटी बरती जाती है उसमें न केवल उनकी हत्या हुई है बल्कि उनके ऊपर जो बोझ ढोया जाता है ग्रीर इनसे जें। बरी तरह मे काम लिया जाता है उससे बे ग्रममय रास्ते में मर जाते हैं या उनके खाने पीने का प्रबन्ध न करके उनकी ध्यसमय मार दिया जाना है। ये मारी

वातें इसके अन्तर्गत आती है । इसरी चीज जो मुझे कहनी है वह यह है कि में वैजिटेरियन, नान वैजिटेरियन और पौराणिक कथाओं पर नहीं जाता लेकिन भारत को देखते हुए इतना आवश्यक है कि हमारे देण में बहुत सार ऐसे जानवर हैं जो खाने की दृष्टि से उपयोगी है। बहुत सारे ऐसे जानवर है जो ग्रन्पयोगी साबित होते हैं । कुछ लोग उनमें मे मांसाहार के लिये उपयोग में लाते हैं। सब को निरामिष होने की जिला नहीं देता हं लेकिन इतना जरूर कहता हं कि उन पश्यों को जो खाने के लिये इस्तेमाल किये जाते हैं उनको मारा जाता है। उनके जान लेने का तरीका होना चाहिए । जान लेने का तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे उनकी ज्यादा तकलीफ न हो । एक चीज जो सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य है वह यह है कि हम दुनिया के सारे रिकाडों को देखें तो पश्चिम के जिलों में हम पाते हैं कि छंटे छोटे बच्चों को गर्भ से निकलने के साथ ही चमडे के लालच से हत्या कर देते हैं। पुराना तरीका जो हत्या का है वह यह है कि जानवरों के मुह को बांध देते हैं। रात भर तड़प-तड़प कर मर जाता है और सूबह के बक्त उसका मक्षण करते हैं। यह तरीका दूसरे मल्कों में है। हमारे मुल्क का तरीका जो है जानवरों की जान लेने का वह अपने ढंग का निराला है । कुछ बातें ऐसी जिनकी तरफ ध्यान देना ब्रावण्यक है। हमारे पांडे जी ने संकेत किया था कि हमारे देण में बंदरों का निर्यात होता है। स्टेशनों पर या हवाई ग्रहों पर नहीं मे ये निर्यात होते हैं वहां हम देख मकते हैं कि छोटे-छोटे लक्डी के कटघरे में 10-15-20 बन्दर बंद कर दिये जाने इनके लिये न खाने की व्यवस्था है ग्रीर न पीने की ब्यवस्था है। वे उसमें चीखते, चिल्लाते मर जाते हैं। [श्रां तुबदेव प्रसाद]
काफी मुसाफिर वहां से होकर निकल
जाते हैं लेकिन किसी की उस पर निगाह
नहीं जाती है। सरकार उसके बारे में
क्या सोच रही है।

दूसरी चीज जो मैं प्रापके ध्यान में लाना चाहता हूं वह यह है कि बन्धर ही नहीं घंड़ जिन पर सवारी लाद दी जाती? है, इक्के, गधे ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जिन पर सवारी लादी जाती है उनके लिये क्या प्रोविजन हो सकता है, इसको नी देखना जरूरी है।

5 P. M:

मेरा निवेदन है कि मामनीय मंत्री जी इस के रूल बनाते समय यह प्रयक्त जरूर करेंगे जिससे इसका स्थापक प्रभाव पड़े। इसमें सवाल यह है कि इस किल में पुलिस को जो न्यापक श्रधिकार दिये गये हैं, उनका किस प्रकार से उपयोग हो । अगर कोई घरेलू जानवर पालता है ग्रीर उसको ठीक ढंग से नहीं रखता है तो उन पर यह कानून लागू हो सकतः है भीर उस पर पुलिस वाले मुकदमा चला सकते हैं। मान्यधर, मैं यह समझता हं कि इसका बहुत बहुत दुरुपयोग होगा । पृत्तिस चानों की हालत को हम सब जानते हैं। जिस तरह से छोटी-छोटी बात को लेकर वे पैमा बस्ल करने के चक्कर में रहते हैं, धगर वे किसी के दरवाजे पर बुढ़ी मवेशी देखेंगे तो इस कानुन के तहत उसके खिलाफ मुक्दमा चलाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ-माथ मुझे ऐसा भी लगता है कि इस बिल के तहत जो सजा की व्यवस्था की गई है वह बहुत नाकाफी है। इसमें लोग 10-20 हमये जुर्मानः देकरः छूट जार्थेगे । इसकी तरफ भी ध्यान देने की ज∓रत है ।

इसके साथ - साथ मैं सरकार का व्यान इस बात की तरफ भी दिलाना चाहता हूं कि किसी चिड़ियाघर में मैंने यह देखा है कि अंजगर के खाने के लिये उसके पिंजरें में खरगोश रखे जाते हैं। भागर उन खरगोशों को एकदम से सब के सब को खाता नहीं है भीर वे खरगोग हफ्तों तक वहां पड़े रहते हैं। वे वेदारे डर की हालेश में वहीं रहते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार की बातें भी कुऐलिटी के अन्वर फाती हैं या नहीं, इस पर विचार किया जाना चाहिए । इन शब्दों के साथ में इस जिल का समर्थम करता हूं और जो सुझाव मैंने दिये हैं, मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी उनकी कोर हयान देंगे ।

भी राम भनत पासनाम (विद्वार) : उपसमाध्यक्ष महोदय, मैं पशुसों के प्रति कृरता का निवारण (संशोधन) विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हथा है। में समझताह कि पंशुक्रों की सुरक्षा, भारतीय संस्कृति और दर्शन का प्रक्रन है एक तरफ तो हमारा यह दर्शन है और दूसरी तरफ हम उनके प्रति ऋरता शौर ववंरता कौर उनकी हत्या भरते हैं। उसका फल यह ही रहा है कि हमारे देश में पशुप्रों की संख्या कम होती जा रही है। इतनी कम होती आ रही है कि जो बड़े जानंबर है उनकी संख्या 90 प्रतिशत खत्म हो चुकी है और और छोटे जानवर हैं उनकी संख्या 75 प्रतिशत कम ही गई है। इसी,प्रकार से पंछियों की संख्या भी 60% 🖔 कम हो गर्द है। सरकार कानून सो बनासी है, लेकिन उमें काम्बीं का इम्पलीविंग्टेशन नेहीं होता है । अब ग्राप वह संशीधन लाये हैं, लेकिन इससे पशुर्धों के प्रति जी वर्षरता भीर कुरता होती है उसका निवारण नहीं हो सकेगा। इसका कारण यह है कि पन्नमीं की जो हत्या होती है उसके अनेक कारण हैं। इसको रोकन में सरकार कड़ी तक तक्षण है, यह छनी

नहीं नहां जा सकता है। समाज के **धन्दर कुछ खास बगं** के लोग होते हैं जो पशुधों का शिकार करते हैं। कुछ ज्ञान-शौकत के लिये पश्चों का शिकार करते हैं। हमारे देश में चरागाह भी बरम होते जा रहे हैं जिससे पशुक्रों की मारने में मदद मिलती है। हम चाहते हैं कि इस प्रकार से पश्कों की आहे इंस्का की जाती है उसके लिये कोई स्वरुत निकासा जामा चाहिए ।

तब तक वे मरते ही रहेंगै। जब तक जो लोग हॉटिंग करते हैं, पश्चमें का शिकार करते हैं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी सब तक पशुप्रों की हत्या होती रहेगी। चरामाह ग्रौर जंगल मिटते जा रहे हैं । इससे वन्य पमुद्री का ह्वास होता जा रहा है । चरागाह कम होते जा रहे हैं. इसलिये घरेलू जानवरों की संख्या कम होती जा रही है। इसके लिये जंगल भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। भादमी भाषिक दृष्टिकीण से बहुत कुछ अनक्रों पर ग्राधित हैं लेकिन वे स्वाह होते जा रहे। हैं। जंगल तो कटेंमें हा वह इसलिये कटेंगे त्यों के मादिमियों की पापूलेशन बढ़ रही है ग्रीर फर्नीचर बनाने केलिये, मकान बनाने के लिये घीर जलावन के लिये लकड़ी की जरूरत होती है । इसलिये मादभी मावश्यकतानसार जंगलों को काटेगा ही। इसलिये इन चीजों का कोई बल्ट रनेटिव आप निकालें। मंत्री महोदय से मैं कहना चाहता हूं कि जंगलों की सुरक्षा से पशुस्रों की सुरक्षा हो सकती है। लेकिन जंगल तो कटेंगे ही क्योंकि ब्रादिमियों की पापुलेशन बक्ट रही है और इस कारण उसकी नीड बढ़ रही है. फर्नीचर के लिये, मकान के लिये और अवाबन के लिये। तो इसके किसी भ्रत्टरनेटिव की व्यवस्था की जाय ताकि जंगलों की रक्षा हो सके। इस संबंध में यदि ग्राप सोचें कि श्रगर सिर्फ कानून बना दिया जाय कि पशुप्रों की हत्यायें न हों श्रीर इस सरह

के काम न हों तो इससे केवल काम चलने वाला नहीं है । इसके पीछे क्या कारणं है उसको समझकर मःभवीय समाज के लिये उसके सस्टर्नेटिव की भी प्राप व्यवस्था कर दे ताकि जंगलों स्रौर पश्झों की सूरक्षा हो सके।

to Animal* (Amdt.) Bill, 1982

वन्य उपसभाध्यक्ष महोदय, जो अलबर हैं उन जानवरों की संख्या दिन ब-दिन कम होती जा रही है। इसी के साथ साथ को धरेलू जानवर हैं जैसे गाय, भैंस, बैल, भेड़ है, यह तो मालम पड़ता है कि ग्रादमी मुख्य रूप से इनका उपयोग दुध के लिये करता है । दुध का उपयोग बन्चे, गर्भवती मातार्थे ग्रौर कमजोर लोगों के लिये लाभदायक है, लेकिन इनके चरागाह कम होते जा रहे है । इसलिये इसके लिये चरागाहों की व्यवस्था हो । ग्रगर चरागाहों की व्यवस्था मञ्छी होगी तो ये पशु ज्यादा दूध देंगे। बैल से हम खेती करते हैं। लेकिन उसको हम पौष्टिक म्राहार नहीं देते हैं । दिन भर काम करने के बाद उसको कुछ दे देते हैं, यह भी कृरता है । जिससे हम हर दिन काम लेते हैं उसको पूर खाना न दें तो यह कूरता है । दूसरा जहां वह रहते हैं वहां का वातावरण बहुत गंदा होता है, उसके ऊपर बरसात का पानी पड़ता है और वहां बहुत मच्छर होते हैं। तो जब तक इन पशुक्री हो जहां पर उनको बांधा जाता है, जहां पर वे रहते हैं वहां का वातावरण भच्छा न **हो उसका ग्र**सर पशुग्री पर भ्रम्छा नहीं पड़ता है । इससे जो है वह पशुप्रों के संख्या कम होती का रहे हैं और ने कमजोर है। रहे हैं । इनलिये क्षेर अध्यह है कि पश्चिमांको सुरक्षा क लिए उनका पौष्टिक ग्राहार दिया जाना च'हिए, उनके लिये ग्रच्छे वासावरण की व्यवस्था होनी चाहिए और जैसा कि पांडे जी ने कहा कि युग युगान्तर स

[और राम भगत पासवान]

पण देवताओं के बाहन रहे हैं । यह ठीक हैं लेकिन स्राजकेषुग में पणुजो हैं ब्रह वाहन का काम तो करते ही हैं साध ही साथ यह मनुष्य जाति के बड़े उपयोगी है। यह हमें दूध देते हैं, खाद देते हैं ग्रीर गरीत लोग इन पश्यों का पालन करके अपना गुजारा चलाते हैं। ये पशु जो हमारे लिये इतने दिउपयोगी हैं उनकी तरफ हम न्याय नहीं करते है और उनकी वर्बरतापूर्वक हत्या करते हैं, उनको पौष्टिक ब्राह्मर नहीं देने हैं क्षीर उनको अच्छे वातावरण में नहीं रखने हैं. इनके लिये चरागाहीं की व्यवस्था नहीं करते हैं, सरकार इनके लिये कोई विशेष योजना नहीं बनाती ग्रीर जत्र सरकार कोई योजना बनाती भी है तो वह केवल कागज पर ही रख जाती है । इस प्रकार पशुग्री की सुरक्षा नहीं हो रही है। मेरा सुझाव है कि पण्यों की रक्षा के लिये विलेज लेबल पर ग्राप वैदेरनरी हास्पिटल खोलें। श्रीर श्राप पना जमाने की कोशिश करें कि उनको क्या-क्या बीमारियां होती है। पश्यों में एक बीमारी 'डक हा' बीमारी श्रद के बाद होती है । बाद के बाद एक खड़ उपजनी है जिसको पश खाते हैं और उसमें पशु मर जाने है या बीमार हो जाते हैं। उस समय श्राप डाक्टर की खोजिये. डाक्टर नहीं मिलेंगे विलेज लेवल पर यदि मिलेंगे तो दबाइयां नहीं मिलेंगी उसके पाम । जब नक दवाई श्रोर डाक्टर का इंतजाम होगा तत्र तक इस दोड़-ध्य में रहेंगे कितने पशु स्वाह हो जाते हैं। तोयह भी बहुत बड़ी ऋयल्टी जान-बरों के ऊपर है । इसलिए मरकार से हम आग्रह करेंगे कि बेटेरनरी अस्पताल है. ग्रापका जो विभाग है इसको भी ग्राप मिक्रिय बनाइये । उसमें कुछ जान लाइये । **दह**्तं। बिलकुल मरा हुग्रा जैसाहै बह तो पशुक्रों से भी बढ़ कर मरा हुआ। मालुम पड़ता है। इसलिए हमारा व्यक्ति-गत अनुभव है । हमारे पास कितने पशु हैं और कितने पशुमारे गये हैं । डाक्टर भ्रवेलेबल हमा तो दवाई भ्रवेलेबल नहीं। इसलिए पशुभी की सुरक्षा के लिए सरकार को विशेष योजना बनानी चाहिये और विशेष योजना दक्ष कर ग्रधिक से भ्रधिक राक्षि खर्च करें। विकास के लिए भ्राप योजना बनाइये तब इनकी सुरक्षा हो सकती है। उपसभाष्यक्ष महोदय, मुझे चिडियादर भी देखने का मीका मिला है। बहां पर भी आपके जो पश हैं उनको पौब्टिक आहार नहीं मिलता हैं। वहां पर भी पश कमजोर हैं ब्रीर उनको पीब्टिक भ्राहार नहीं मिल रहा है । डाक्टर की मुविधा चाहिये । इसलिए सरकार के संरक्षण में भी जो पशु हैं उनकी भी स्रक्षा मनिवार्य है। इसलिए हम आग्रह करेंगे कि चाहे पण सरकार के संरक्षण में हों, चाहे किसान के संरक्षण में हों, उन सब की सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिये। मैं यह भी कहूंगां कि इनके विकास के लिए चारा विकास योजना के ग्रन्तर्गत गृहस्थ को आप पशुमों के माहार के लिए हैं । हरित कान्ति ग्रौर **म्बेत कान्ति तभी होगी कि इतना दूध** वह पैदा करे कोई पश् परिवार को पालन-पोषण ग्रधिक से ग्रधिक दिया जाए । जिस प्रकार से हरित कान्ति साईम और टेक्नोलोजी का विकास कर के की गई है उसां प्रकार से साईस ग्रीर टेक्नोलोजी का विकास करके खेत कान्ति लाई जा सकती है। साथ हो पणुत्रों को पौष्टिक ग्राहार देकर देश में आप श्वेत कान्ति लाइये । क्वेत कान्ति नहीं होगी, दूध नहीं मिलेगा, दुध के केन्द्र नहीं खुलेंगेतो हरित कान्ति भी मफल नहीं हो मकती । इसलिए हरित कान्ति की सफलता के लिए श्रापको

म्वेत कान्ति लानी पडेगी और म्वेत कान्ति के लिए आपको पश्चों के संरक्षण की जरूरत होगी। इसलिए हम सरकार से ब्रायह करेंगे कि गृहस्थ को जब ग्राप लोन देते हैं, तकावी लोन देते हैं तो उनको कह दीजिये कि पास जितनी खेती है उसका 10% से 14% भाग में आप हरा चारा लगाइये। जो पशुक्रों को खाने के लिए मिले। इसके बाद इसके साथ साथ चारा विकास का भी कार्यक्रम सरकार को चाहिये कि किसानों को डाइरेक्ट कर दे कि ज्वेत कान्ति के लिए ग्राप चारे का विकास करें। चरा जो वह 10% से 14% तक भ्रनिवार्य रूप से वे लगावें ताकि बाँढ़ के समय में पश्चों को चारा मिल सके खास कर पशुत्रों के ग्राहार में कमी भाती है। हरा चारा वे लगायेंगे तो पशुक्रों को खाने के लिए मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देता हं श्रीर श्रपनी बात समाप्त करता हं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNANj: The last but one speaker now, Mr. Dhabe.

SHRIDHAR WASUDEO DHABE (Maharashtra): Sir. this Bill has got a wide canvas. India is a country where the animals are worshipped and where animals are also sacrificed in temples, in States like West Bengal and Assam. Sir, the Prevention of Cruelty to Animate Act of 1960 has a broad canvas. The definition of the word "animal" therein says "any living creature other than a human being" which means that excepting the human being everything is covered under this Act. If it had a limited connotation, the matter would nave been different. And therefore, under clause 5. under which the Board is to be constituted, I find that the number is vers' small. It is stated that the number of members representing municipal corporations is being reduced from five to *wo. When this Bill was passed in 1960, there were four corporations, Bombay, Calcutta, Delhi and Madras. Now the number is more than 80. I do not understand why the number

has been reduced. I think if you really want this Bill to be implemented, the number should be more. But instead of that, it has been reduced to two. I would like to know the basis on which it has been brought to two.

Secondly, I do not find .my provision for State Boards or regional boards. I would like to know from the Minister whether the Central Board alone is going to administer such an important law, which is very necessary for our agricultural economy.

Then. I would like to know frou the hon. Minister in this respect what will be the powers of the Board or officers in matters; of implementation of this law. There is no such thing. Everything is left to rules. No guidance has been given in the Act itself.

Then, Sir, the most important question which is very necessaiy is about treatment facilities, etc. for domestic animals all over the country. These facilities are small. I find from the statement that veterinary services or centres are nearly 50,000. So with such number, how can you implement such an important law? Therefore, there must be a massive programme for expansion of such centres, otherwise if the animals become ill. they are bound to be killed and destroyed.

Therefore, the main question is linked up with expansion of facilities for veterinary purposes, and from that point of view T will like the Minister to throw light what is going to be done. Merely passing a legislation of this type or bringing forward amendments is not going to help.

I agree that deterrent punishment is no solution for such a problem. It requires immense education, and it is not a field in which you can enforce the penalty provisions very deterrently. The main thin? Is the machinery for implementation purposes. On that aspect of the Bill I would like the Minister to throw light.

Thank you very much. I support Hvs Bill.

भी धर्म चन्द्र (जन्मू ग्रीर काश्मीर) उपसभाष्ट्रयक्ष महोदय, जो मंगोधन विधेयक

इस सदन में प्रस्तुत है। मैं उसका समर्थन करता हुं। परन्तु इतना जरूर कहूंगा कि यह विधेयक उस बात को पूरा नहीं करता जितनी कि कूरता हम लोग पशुमों पर कर रहे हैं। ग्राज भारत की ग्राबादी बहुत बढ़ रहा है परन्तु पशुग्रों की ग्रवादी घट रही है ? यह भी एक सोचने की बात है, विचारणीय प्रश्न है । कहा गया है आहि शेर भारत में घट रहे हैं। परन्तु शेर के भ्रलावा एक और जानबर है जिसको संख्या बहुत घट गयी है, वह मस्क डीयर, कस्तूर) मृग, जो कि वहां जस्मू प्रांत के पहाड़ों पर होता है। भाज से 10-12 वर्ष पहले इसकी बड़ी संख्या थी लेकिन ग्राज बहुत घट गयी है। 10 वर्ष हुए केन्द्रीय सरकार की एक टीम जम्म पयी यी घौर उन्होंने प्रोपोजल रखा था कि यहां पर मस्क डीयर् का कार्म इदोला जाय । पर पता नहीं वह क्यों नहीं खोला गया । ग्राज तक हम उसका इंतजार कर रहे हैं लेकिन वह खोला नहीं गया है। इस तरह मस्क डीयर घटता गया । कस्तूरी एक वत कीमती चीज है इसलिए उसकी पाने के लिए शिकारी जंगलों में चले जाते हैं पहाड़ों पर भीर उसको मार डालते हैं तथा कस्तूरी निकाल लेते हैं। यह वही चीज है जैसे एक मृर्गी सोने का ग्रंडा देती थी तो उसके मालिक ने सब ग्रंडे लेने के **लिए एक दिन मु**र्गीको मार डाला। उसी तरह से मस्क डीयर का वहां माः जाना एक बहुत ब्री चीज है।

इसी तरह से जो स्लाटर हाउस हैं उनमें कुछ इम्प्रवर्मेट होना चाहिए। श्रीर कसाई जो उसी मारता है, उसका छ्राकभी-कभी कुंद हो जाता है। मैंने खद देखा है कि एक कसाई का छ राइस तरह से धंत गया था कि उस को

एक झटके की बजाए दस झटके मारने पड़ते थे भौर जानवर तब्यता था।

t& Animals

(Amdlt.) Bill, 1982

इसके अतिरिक्त जो बंदरों के मृतल्लिक कहा गया है, मुझे एक ड्रगलेबोरेटरी में जाने का इत्तिफाक हुन्ना । एक बंदर पर तजर्वा किया जा रहा था ग्रीर उसको बहुत तड़पाया जा रहा या । मैंने कहा कि इसको इतना क्यों तड़पाते हो ?

उन्होंने यहा कि यह थोड़ी देर में मर जाएगा । तो इस तरह जानवरों पर जो कूरता हो रही है भीर जो उस पर जुल्म हो रहा है, इस बिल से जरूर कुछ न कुछ घटेगा । लेकिन इसमें कुछ संशोधन भ्रौर होना चाहिए ताकि इन पर जो जुल्म होता है, वह उतना न हो सके जितना कि हम कर रहे हैं, जैसे कि हमारे अोड़े, बैल और भैंसे जो गाड़ियां चलाते हैं, इन पर चाबुकें पड़ती हैं, इतनी संवारियां भौर सामान इन पर लाद दिया जाता है भीर इन पर जरा भी रहम नहीं भारते ग्रीर इनको बहुत भुखा रखा जाता है म्रोर जब दह सर जाते हैं, तो फिर इनकी खलासी होती है।

तो मैं कहना चाहंगा कि जो लोग हैं, पहले गाय का दूध पीते हैं ग्रौर उसके बाद उसको छोड़ देते हैं और वह रास्ते पर मर जन्ती है। तो इसके लिए भी कुछ संशोधन होना चाहिए ताकि गोशालाएं खोली जाएं । ग्रगर सरकार गोशाला नहीं चला सकती तो जो प्राइवेट संस्थाएं चला रहे हैं, उनको कुछ माली सहायता दी जाए ताकि वह चला सकें।

मैं यह कहवा चाहंगा कि हमारा देश जो है, यह पशुधों के प्रति बहुत ही समवेदना रखता है । हमारी परम्परा, नंस्कृति जो है, उसमें भी यही लिखा है

कि पणुष्ठों के प्रति, पिक्षयों के प्रति ग्राप बहुत ही दया की भावना रखें। मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं कि जो पणुष्ठों के धलावा पिक्षयों पर भी जुल्म करते हैं। उनको गोली मार डालते हैं और इस तरह से कुछ न कुछ ऐसा विधेयक होना चाहिए ताकि इनके प्रति जो कूरता हो रही है ग्रौर जुल्म हो रहा है, उसको रोका जासके।

अन्त में मैं एक क्लोक पढ़ूंगा— यह जो हमारे बाल्मीकी ऋषि हुए हैं, हमारी संस्कृति के प्रथम कवि हुए हैं, उनका प्रथम क्लोक है, जो कि हमारे एक सदस्य ने पढ़ा भी था—

मा निषादः प्रतिष्ठा त्वमशमः शश्वती समाः यत् कोंच विष्नादेकम्वधी काममोहिताम् ।

उस पक्षी के जोड़ें को एक भील ने मार दिया था। उस पर बाल्मीकी ने कहा था कि देखो तुमने जो इस जोड़ें को मार डाला, यह बहुत बुरा किया है और बाद का क्लोक जो है वह शोक से पैदा हुआ। तो इससे यही साबित होता है कि हमारी संस्कृति में, हमारे इतिहास में पक्षियों के प्रति, जानवरों के प्रति बहुत ही समवेदना रही है।

भन्त में मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

उपसभाष्यक्ष (श्री झार०रामकृष्णन) : झा जी, झाप थर्ड रीडिंग में जो कहना चाहते हैं, अभी बेताइये ।

भी शिव चन्द्र सा (बिहार) : इस विधेयक के मुताल्लिक दोनों तरफ बातें ग्राई हैं । जब दया होनी चाहिए, करनी चाहिए । जानवरों के प्रति पुराण भीर पुराने इतिहसा, सब कोट किये गग्नें हैं । साथ ही साथ यह भी बात देखी 619 RS—11 गई है कि इसमें जो प्रांवधान है, यदि वह जानवर को खाना न खिलाए, पानी ठीक वक्त पर न दे, तो उसको अफसर पकड़ सकता है, सजा दे सकता है। यह भी प्रांवधान है।

तो बहुत कंट्राडिक्ट्री परिस्थिति ग्रा जाती है । मैंने संशोधन दिया कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाए । मैं उस वक्त मौजूद नही था, इसीलिए मूव नहीं कर सका । जो प्रावधान है कि मंत्री के मूव करने के बाद सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए । ग्राप यदि मुझे इजाजत दें, तो मैं इस संशोधन को फिर मूव कर सकता हूं कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए । कुछ बातें ऐसी है । जन पर टीक से विचार करके एक कंन्प्रीहेंसिव रूप में इसे लाया जाए ।

यहां दूसरे सदस्यों ने भी कहा है कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए । उपसभाध्यक्ष जी, बुद्ध की कहानी कही गई है कि हंस को उन्होंने कैसे बचाया और सारे ब्रादमी, जानदर, सबों का सारा इतिहास. . . लेकिन पांडे जी नहीं हैं और लाबी में मैंने उन को कह दिया कि राम हरिण के पीछे क्यों गए, यह बताइए ...(व्यवधान)...यह हमारी ही संस्कृति में है। उपसन्तन्त्रक महोदय, हरिण के पीछे क्यों गए ? इसी तरह से बहुत से उदाहरण मैं श्रापको वे सकता हं। अशोक की बात उन्होंने कही । यह ठीक है कि अशोक ने हिंसा बंद करवा दी लेकिन इतिहास पढ़ कर देखिए-100-200 हिरण जनके किचन में काटे जाते थे, आखीर तक । इतिहास को छ्पाने की जरूरत नहीं है। साथ-साथ सुरक्षा की जो बात है वह भी बात उनके सामने थी। फई बातों पर ठीक से

of Cruelty

[श्री मिन चन्द्र शा] विभार करने की जरूरत है। एक बात वह भी कही गई कि इंटरटेनमेंट, मन-बहलाव के लिए यदि जानवर से जानवर लड़ाया जाता है तो वह बंद हो, यदि उसमें ऋएलिटी पायी जाती है । एक पर्व हमारी तरफ होता है, जिस में सुधर बच्चे को ले झा कर उसको भैंसे को ले झाकर मारते हैं....(ममधा की घंटी)...यह खराव बात है ; लेकिन यह ग्राप से बाप बंद हो सकता है। फुल-देवता जो ब्रापने कहा, गाय की उसमें भौत की जाती है। ग्राप जानते हैं देहात में सांड को बागा जात। है । कितनी जगहों में सांह को बैंड किया जाता है। तो ये सारी बातें खत्म हो रही हैं। लेकिन ये जो धाप चाहते हैं इन्टेन्शनल उसमें नहीं होना चाहिए। लोग अपने पालतु जानवरीं को प्रच्छी तरह रख सकें । इन्टेन्सनली खाना, कहीं से भी देखो, उसको करने की सामध्यें ही नहीं है।

भच्छा तो यह होगा कि जैसे काप इंश्योरेन्स की बात बाती है, बापको केंद्रल इन्ध्योरेन्स करना चाहिए उस में ये सारी बातें द्या सकती हैं (समस की घंटी...) बीडं जो बनेगा उसका कंपोजिशन क्या होगा। हम जानते हैं, ब्युरोक्रेसी के कब्जे में ही सब कुछ हैं। वेटरनरी डाक्टर भी होता है, हास्पिटल भी होगा, सब कुछ देखा जाता है लेकिन जिस तरह से स्लाटर का सिलसिला देश में चलता है. उसको ग्राप रोकेंगे कि नहीं ? ग्रापका विधेयक कहता है या नहीं, आंखों के सामने भैंसों को देखते हैं, खेतों में ले जाया जाता है। उसको रोकने में क्या भ्रापका विधेयक लागू होगा। तो ये सारी वार्ते हैं-दर्शन की, हकीकत की, वस्तुस्थिति की। इन्हीं सब बातों के विचारने के लिए मैं फिर कहुंगा कि बाप इजाजत दें कि मैं अपना प्रस्ताव रखूं कि इसको सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए । इसमें धभी कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि पृथ्वी उसट रही है, आसमान टूट रहा है। सिसंबर कमेटी में सब बादी पर गौर करना चाहिए। एक कांग्रिहेसिव बिल घाए तो अच्छा होना वरना विधेयक आते हैं, ताक पर रख दिए जते हैं। उन पर अमल नहीं हो पाता।

श्री हुक्सबेच नाराव "इव (बिहार): मैं भारत सरकार का ६५,७ इस छोर **बाकुष्ट** करना चाहता हं कि इ...रे उत्तरी बिहार में एक जगह सुरसड है, जहां से संपूर्ण बिहार में ही नहीं बल्कि सारे उत्तर भारत से भैंसों की शच्छी नस्त मंगामी जाती है। जितने दूध के रोजगार करने वाले हैं वे बच्छी नस्त की भींस की ले जाते हैं, दूध निकालते हैं भीर बाद में जनको मरका देते हैं। सरकार को इस तरह की हरकतों पर रोक लगानी चाहिए। अच्छी नस्त के जानवरों को बड़े महरों में ले जा कर दूध के रोजगार के बाद कटवाने नहीं देना चाहिए। इस से धच्छी नस्त के जो दुधारु जानवर है देश के, उनका नाश होताजा रहा है। शहरों में मैं देखता हं कि बकरी वगैरा पशुद्धों को काट देते हैं धौर बहा-तहां नाले के किनारे, गंदी जगहों पर टांगें रखते हैं। उससे बीमारी भी फैलती है, संपूर्ण बीमारियों के कीड़े, मिक्समां भादि लगती रहती हैं, वही गोश्त लोग खाते 🍍 । उससे जीपारी भी फैलती है और मानवीय दृष्टि से भी यह बहुत बुरा लगता है तो उनको काटने का स्थान सरकार की तरफ से हर शहर में निश्चित होना चाहिए ताकि वहां पर वैज्ञानिक ढंग से कम से कम तकसीफ देकर जानवरों को मारा जाए भौर नियत स्थानों पर उसे बेचा जाए। जानवर वहां रहते हैं, उसी के सामने जानवरों को काटा जाता है, यह भी नहीं होना चाहिए। इस पर भी सरकार की सोर से फानन बनाना चाहिए।

कलकता वगैरह में कछए जो पानी में होते हैं लोग उन्हें भी खाते हैं। उसको मार देते हैं तो उसके गोश्त से बदव निकलने लगती है। लेकिन बहां उसको जिन्दा टांग कर रखे रहते हैं, जितना जो शोश्त लीना चाहे उसकी उसमें से काट कर दे देते हैं। जिन्दा जानवरों के गरीर से मांस काट कर बेचा जाए, इससे वही निर्देयता क्या हो सकती है । ऐस। आज भी वहां पर हो रहा है। तो ऐसे लोगो पर कड़ाई से पाबन्दी लगाई जानी चाहिए कि ऐसा वह लोग नहीं कर सकें।

श्रीमन, जो इंस्पेक्टर वगैरह बहाल किये जाते हैं, हमारे बिहार में मैंने देखा है। पश् क्रता निवारण निरीक्षक जो हैं वह जान-ब्रह्मफर ट्रकों पर जो लोग जान-वरों को लाद कर ले जाते हैं, वही उनसे पैसाल्टल्टकर खा जाते हैं। वही इंस्पैक्टर कानून का दुरुपयोग करता है। रोजगार करने वाले लोग इधर से ऊधर बकरी भीर भेड़ ले जाते हैं ट्कों पर, तो इसी उसने लाखों करोडों बना लिए हैं। धनबाद में एक इंस्पैक्टर लखपति बन गया है, 5 लाख, 10 लाख रुपवा उसने कमा लिया है । समाचार पत्र में भी यह खबर आई थी। सरकार की तरफ से इस पर कोई भ्रमल नहीं किया गया । इस पर भी सरकार की घोर से कार्यवाही होनी चाहिए ताकि कानन की जो मंशा है उसे पूरा किया जा सके। इसके बारे में यही सुझाव देने थे, सरकार इन पर विचार करें।

उपलबाध्यक्ष (श्री धार० रावश्रदणन) धव मंत्री जी जवाव देंगे।

THE MINISTER OF STATE IN THR MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT (SHRI R. V. SWAMINATHAN): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am very grateful to all the hon.

Members from this side and that side of the House for supporting this Bill aud also for giving very valuable suggestions. Some of the Members have made very important point.

Shri Arabinda Ghosh mentioned yesterday about torturing of tigers and elephants. That comes under a separate Act-called the Wild Life Act, under which it is being protected and taken care of. Similarly, Mr. Goswami also mentioned about poaching that is going on of caps Rhinos. We are taking care of that also under the Wild Life Act.

So far as the present Act is concerned, I have to say something. Our great saints like Jesus Christ, Mohammad Nabi, Buddha and Mahatma Gandhi have all preached that we should be kind to the animals. In spite of that we had to bring a law to prevent cruelty that is being inflicted on the animals. This is a very unfortunate situation not only in our country but in the entire world Some hon Members have mentioned about proper veterinary dispensaries not being there, with the result that sick animals cannot be protected. I should like to mention to the hon. Members that we have got about 13,000 veterinary hospitals and dispensaries working in this country. Besides that, about 15,000 veterinary aid centres are also working. Also we have introduced a Bill in#this House i to protect and also enlarge the facilities That is under veterinary consideration of the Joint Select Committee. So we are taking care of that aspect Also we will more veterinary hospitals see that dispensaries are established in this country. Many Members mentioned about slaughterhouses. Sir, the slaughterhouses are being taken care of. In this project we have plan to construct slaughter-houses with Rs. 77 crores to be spent in the Sixth Plan period. There will be centres fti places like goa, Durgapur, Calcutta, Madras, Hyderabad and Bangalore Delhi and one i centre in Jammu and Kashmir. are taking care of all these things. Therefore, Sir, cruelty to animals is a very important item whkb we have to take rare of.

fShri R. V. Swaminathan]

Some Members mentioned about cattle insurance. That is also taken care of by our Department. It is in a different line and not in this Bill. But we are going to have this cattle insurance scheme.

Sir, this Bill i_s very important. You also, Sir, as a Member, while speaking pointed out certain important things and quoted some verses from Thiruk-kural of Thiruvalluvar. Some Members pointed out that some people indulge in giving injections to the milch cattle to get more milk from them. That is very bad and we are taking care of that also. Earlier it was not-properly taken care of- Now that also come_s under this and they will also be punished.

Many Members said that the punishment is very light and that we are going to impose a fine of only Rs. 25, Rs. 50 or like that. Sir, within three years if anybody commits the same offence, he will be sent to jail also. But, Sir, we must also realise that these people who indulge in this crime are all very poor people. They are villagers and farmers and also very innocent people. Without knowing what they are doing, they commit the crime. Therefore, Sir, we have lo be a little lenient and we should not impose very high punishment which, if 4hey cannot pay, they will have to go to jail only. Therefore, Sir, this is also a very important point which we have to keep in mind.

Many Members mentioned about the Animal Welfare Board. Already we had an Animal Welfare Board which was working very well under the chairmanship of Mrs. Rukminidevi Arundale. The Bard was doing very good work and Mrs. Arundale had earned the encomiums and praise of our Prime Minister. Such good work she had done. Now we are expanding the scope of the Board. Therefore, this Board will be constituted very soon and we will be selecting non-officials. The Chairman and Vice-Chairman will be non-officials only

and not officials. That also I can assure the hon. Members.

(Amdt.) Bill. 1982

to Animals .

The hon, Member, Mr. Sankar Prasad Mitra mentioned about a five-star hotel that is being constructed in Calcutta. Sir, it is true. We have taken objection to this. Our Prime Minister has also taken objection to this because they are giving some land from the zoo where the zoo dispensary is located. That dispensary area is being given to a private firm for constructing a five-star hotel. I also went to Calcutta to visit that spot. I feel it is not proper. After that, I had taken up the matter with West Bengal Government and also written to the Chief Minister of West Bengal Government. They are also hesitating but they want to give and they are justifying their stand. Anyway, we have not left it and I can assure Mr. Mitra that we are taking up this matter we are pursuing this matter—with the West Bengal Government. And some Members mentioned about the cock fight. It is a cruel thing. I know as a young boy in my village, the cock fight was very popular and 1 used to enjoy it. But now when I think of it, I find it is a very very cruel thing. These people put a very sharp knife and a^o they tinge them with poison and they tie in the leg and allow the cocks to fight. It is a very very cruel thing. That we must stop. Now we are preventing that also under this Act.

With these words, I must say I am very grateful to the hon. Members who have made very good suggestions. We will see how best we can accommodate good suggestions when we make the rules.

With these words, I commend that 'he Bill be passed.

THE VICE CHAIRMAN (SHRI R RAMAKRISHNAN): The Question

That the Bill to ame, d the Prevention of CruUty to Animals Act, 1960, as parsed by the Lok Sabha, be taken into consideration.'

The ?n.otion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN): We shall now take up the clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses ² and 3 were added to the Bill.

Clause 4—Amendment of section 4

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN): Clause 4. There is one amendment by Shrimati Usha Malhotra.

SHRIMATI USHA **MALHOTRA** (Himachal Pradesh): Sir, I am not moving. I would like to support this Bill wholeheartedly which has come before the House. I have made a few amendments and I would request the Hon. Minister to kindly incorporate those amendments in the Rules which they are going to frame because the endeavour of the Government is to codify all the rules and regulations so as to prevent cruelty to animals and my endeavour was the same. As such, I would request the hc-n. Minister to kindly effect them. But I am not pressing my amendments since it would not be possible as we are in a hurry to pass the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN): The question

"That clause 4 stand part of the Bill.'-

The motion was adopted.

Clause 4 was added to the Bill.

Clause 5—Amendment of section 5. THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAMAKRISHNAN): To clause 5, there are two amendments. Shrimati Malhetra, you are not moving.

SHRIMATI USHA MALHOTRA: No, I am not moving.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN): The question is:

"That clause 5 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 5 was added to

Clauses 6 to 8 were tdded tt

Clause 9-Amendment of se

THE VICE-CHAIRMAN R. RAMAKRISHNAN): Th* amendment to clause 9. Yoi moving it, Shrimati Malhotra.

SHRIMATI USHA MA No. I am not moving.

THE VICE-CHAIRMAN R. RAMAKRISHNAN); The is:

"That clause 9 stand part Bill."

The motion was adopted

Clause 9 was added to the

Clause 10-Amendment of s

THE VICE-CHAIRMAN R. RAMAKRISHNAN): five amendments to clause 10, ; to 8 by Shrimati Malhotra not moving them.

SHRIMATI USHA MAI No.

VICE-CHAIRMAN R. RAMAKRISHNAN): No. by Shri D. Heerachand.

भी ही • हीर अग्द (तमिलना श्रीमन, मैं इस संशोधन पर ज्यादा न देते हुए सिर्फ एक दो अस्तें अर चाहता है। यह जो पशुभी के अपर ह भीर बर्बरता होती है यह सम्बद्ध बहुत शर्म की बात है और मैं एक बात की तरफ ध्यान भार्काप्रत 🕝 चाहता हं। मैंने इस बारे में ह से प्रक्रम भी पूछा था और उसा भी उन्होंने दिया है । यह 🧀 मिल्क डेरी पूना में है और बन्द: कालोनी में है, यह चीज यानी पर्ना है । इस पनीर में पश्चाः 🧸 मिलाई जाती है। इसके 🖾 🌣 ध्यान ग्राकवित किया था हीए 🖰

(Amdt.) Bill, 1983

थि डी ० हीराचन्दी

जबाब भी दिया गया है। उन्होंने यह भजर किया है कि यह बात सही है। यह सचम्ब में धोखाधडी है । जो लोग शावाहारी हैं उनके साथ यह फितने शर्म की बात है। में इस तरफ सरकार का ध्यान ग्रकथित करना चाहता हुं यह कहना चाहता हं कि इसको तुरन्त बन्द किया जाय या जो पनीर मैनफक्चर होकर बाता है उसमें लिखा जाय कि इसके घन्दर मांस यानी पश्चक्षों की चर्बी मिली होती है। ताज्जब की बात यह है कि उस चीज यानी पनीर को बनाने में एनीमल रेनेट के बजाय मैंकरोबदला रेलेट का युज कर सकते हैं। रिसर्च करके इस बारे में राय दी गई है। फिर भी पता नहीं क्यों चर्वी यूज की जा रही है। सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हं कि जहां पर ग्रहिंसा परमोधर्मः का नारा गुज रहा है। मुझे तो यह आक हो रहा है कि श्रिहिसा परमोधर्म हिंसा परमोधर्म : हो रहा है। यहां हमारी लाबी में लिखा हुआ है कि "अहिंसा परमोधर्मः" लेकिन अपने देश में हिंसा की ऐसी बातें हो रही हैं जो कि सचमच में हमारे लिए एफ शर्म की बात हैं। मैं मंत्री जी का ध्यान इस ग्रोर खींचना चाहता हं और मं उनसे अपील करूंगा कि इस तरह की जीओं को फौरन बन्द किया जाय।

इसी तरह से जो और - चीजें हो रही हैं, जैसे सौंदर्य बढ़ाने के लिए हत्यायें हो रही है इसको बन्द किया जाय। जो शैम्पू बनता है उसको सबसे पहले खलगोश की शांखों में डालकर टैस्ट किया जाता है कि शैम्पू से उनकी शांखों खराब होती हैं या नहीं। तो इस तरह से जो हत्यायें होती हैं उनको तुरन्त बन्द किया जाना चाहिए। जिस देश की संस्कृति इतनी ऊंची हैं, उसके श्रन्दर इस तरह की

बातों होने लगे को यह उचित नहीं है और फिर दूसरा इस संस्कृति को बनाये रखने का चारा हमारे पास क्या है? इसलिए मैं मंत्री महोदय से प्रपील करना चाहता हूं कि इसको बन्द किया जाय।

इतना कह कर मैं अपने संबोधन को पैक नहीं करता हूं

am not moving the amendment.

SHRI R. V. SWAMINATHAN: I want to say that so far as the slaughter houses are concerned, if inhuman methods are adopted to kill, this Act can take care of them.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN): Very sorry. They are not moving tho amendments.

The question is:

"That clause 10 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 10' was added to the Bill.

Clause 11

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN)!: Sh.rimati Usha Malhotra.

SHRIMATI USHA MALHOTRA: I am not moving amendment.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN): The question is:

"That clause 11 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 11 was added to the Bill.

Clauses 12 to 18 were added to the Bill,

to Animals 334

(Amdt.) Bill, 1983

Clause 1, the *Enacting* Formula and *the Title were added to the Bill*.

SHRI R. V. SWAMINATHAN: Sir, I move-

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN): The House stands adjourned till 11.00 A.M. tomorrow.

(Amdt.) Bill, 1982

The House then adjourned *at* forty-eight minutes past five of the clock till eleven of the clock on Thursday, the 15th of July, 1982.